PHONE NO. 05947-254275
FAX NO. 05947-255021

E-MAIL secy-ubse-uk@nic.in

मार्गदर्शिका

वर्ष : 2017

अनुक्रमणिका

1.	संदेश एवं आभार	02–03
2.	परिषदीय पृष्ठभूमि	04
3.	परिषद् के विभिन्न अनुभाग	05
4.	परिषद् द्वारा सम्पादित की जाने वाली विभिन्न परीक्षाएं	06
5.	विद्यालयों हेतु वित्तविहीन मान्यता	07–11
6.	पंजीकरण – कक्षा 09 से कक्षा 12 तक	12
7.	सी0सी0ई0, इकाई परीक्षा एवं प्रोन्नति के नियम	13–19
8.	प्रयोगात्मक परीक्षाएं एवं अंक विभाजन	20–29
9.	नवीन विषय संयोजन (कक्षा 10 व कक्षा 12)	30–31
10.	परिषद् से अभिलेखों की प्राप्ति	32–44
11.	छात्रवृत्ति	45–46
12.	परीक्षाफल – तुलनात्मक अध्ययन	47–48
13.	विभागीय परीक्षा द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाएं	49–50
14.	सूचना का अधिकार	51
15.	परिषदीय सभापति, सचिव एवं अधिकारी	52
16.	परिषद्/मु0शि0अ0 कार्यालय दूरभाष एवं ई–मेल	53
17.	जनपद एवं विकासखण्ड कोड	54

सभापति की कलम से

संदेश

उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर द्वारा राज्य में विद्यालयी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत संपादित होने वाली परिषदीय परीक्षा एवं अन्य विभागीय परीक्षाओं का सुचारु रूप से संचालन किया जाता है। इन परीक्षाओं के संचालन में राज्य के विभिन्न विद्यालयों में कार्यरत प्रधानाचार्यों एवं शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। परीक्षाओं के आयोजन में विद्यालय अपनी भूमिका का समुचित निर्वहन कर सके इस हेतु कार्मिकों को परीक्षा संचालन के नियमों की सम्यक् जानकारी आवश्यक है। परिषद् द्वारा इस संदर्भ में जनपदवार प्रधानाचार्यों एवं परीक्षा प्रभारियों से कार्यशाला के माध्यम से संवाद किया गया। जनपद स्तर पर आयोजित इन कार्यशालाओं के पश्चपोषण में प्रधानाचार्यों एवं परीक्षाप्रभारियों द्वारा परिषद् से सम्बन्धित विभिन्न महत्वपूर्ण जानकारियों यथा सी0सी0ई0, प्रोन्नति के नियम, मान्यता के नियम, विभिन्न छात्रवृत्तियां, हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट में नवीन विषय संयोजन, विभिन्न अभिलेखों की प्राप्ति, प्रयोगात्मक परीक्षाओं में अंक विभाजन आदि के सम्बन्ध में सन्दर्भित नियमों एवं सूचनाओं को एक पुस्तिका के रूप में समाहित कर विद्यालयों को उपलब्ध कराने का सुझाव दिया गया था। इस सन्दर्भ में विभिन्न सुझावों को संज्ञान में रखकर परिषद् द्वारा मार्गदर्शिका का प्रकाशन किया जा रहा है।

मैं आशा करता हूँ कि मार्गदर्शिका छात्र–छात्राओं, अध्यापकों, अभिभावकों एवं जनसामान्य का उनकी आवश्यकता के अनुरूप मार्गदर्शन करेगी।

(आर0 के0 कुँवर)
सभापति

सचिव की कलम से

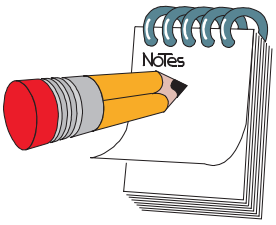

आभार

दुनियाँ बहुत तेजी से बदल रही है। आज के तेजी से बदलते परिवेश में इण्टरनेट ने सूचनाओं, जानकारियों एवं ज्ञान को सर्वसुलभ बना दिया है। सूचनाओं, जानकारियों एवं ज्ञान के प्रमाणिक संग्रह की आवश्यकता से आज भी इनकार नहीं किया जा सकता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् का हमेशा यही प्रयास रहा है कि परिषद् से सम्बन्धित गतिविधियों, सूचनाओं, जानकारियों एवं नियमों से प्रत्येक विद्यालय को अवगत कराया जा सके। इस दिशा में परिषद् द्वारा वेबसाइट पूर्व में ही निर्मित की जा चुकी हैं। वेबसाइट एवं ई–मेल के माध्यम से परिषद् द्वारा महत्वपूर्ण सूचनाओं का विद्यालयों के साथ आदान–प्रदान किया जा रहा है। उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि परिषद् से सम्बन्धित एवं विद्यालयों हेतु उपयोगी महत्वपूर्ण नियमों एवं सूचनाओं को एक पुस्तिका के माध्यम से उत्तराखण्ड में स्थित समस्त हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट विद्यालयों को उपलब्ध कराया जाय। इसी क्रम में परिषद् द्वारा प्रथम बार विद्यालय हित में एक मार्गदर्शिका का प्रकाशन किया जा रहा है। यह मार्गदर्शिका अपने आप में उन सभी सूचनाओं का संग्रह है, जिसका लाभ शिक्षकों, विद्यार्थियों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं को होने वाला है। इस मार्गदर्शिका के निर्माण में परिषदीय अधिकारियों एवं कार्मिकों का विशेष योगदान रहा है।

हार्दिक शुभकामनाओं सहित।

(विनोद प्रसाद सिमल्टी)
सचिव

उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर
पृष्ठभूमि

- पर्वतीय क्षेत्रों के छात्रों की समस्याओं को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने राजाज्ञा संख्या 4460/15–7–1(231)/1995 दिनांक 09 फरवरी, 1996 के द्वारा मेरठ/बरेली/इलाहाबाद/वाराणसी के अतिरिक्त माध्यमिक शिक्षा परिषद का एक क्षेत्रीय कार्यालय रामनगर में खोलने का निर्णय लिया।
- 09 नवम्बर, 2000 को उत्तरांचल राज्य का गठन हुआ और उत्तरांचल राज्य में माध्यमिक शिक्षा के विनियमन तथा पर्यवेक्षण/मूल्यांकन हेतु राजाज्ञा संख्या 400–2(260) मा0शि0वि0/2001 दिनांक 26 सितम्बर 2001 के द्वारा उत्तरांचल शिक्षा एवं परीक्षा परिषद का गठन करते हुए अधिसूचना संख्या 685/माध्यमिक 2002, 12 जुलाई 2002 द्वारा राज्य सरकार द्वारा इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 को यथावत् अंगीकृत किया गया।
- वर्ष 2003 में प्रथम बार उत्तरांचल शिक्षा एवं परीक्षा परिषद द्वारा स्वतंत्र रूप से हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट परीक्षाओं का आयोजन किया गया। वर्ष 2005 से हाईस्कूल परीक्षा में सी0बी0एस0ई0 पैटर्न अंगीकृत किया गया जिसकी प्रथम परिषदीय परीक्षा वर्ष 2007 में आयोजित हुई। इसी भाँति इण्टरमीडिएट की सी0बी0एस0ई0 पैटर्न पर आधारित परीक्षा प्रथम बार वर्ष 2009 में आयोजित की गयी।
- दिनांक 22 अप्रैल, 2006 को उत्तरांचल विद्यालयी शिक्षा अधिनियम 2006 (अधिनियम संख्या 08, वर्ष 2006) का प्रख्यापन तथा उत्तरांचल विद्यालयी शिक्षा परिषद की स्थापना हुई। शासनादेश संख्या 201/XXIV–5/2008 देहरादून दिनांक 11 दिसम्बर, 2008 द्वारा उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद का गठन किया गया। गठित परिषद की प्रथम बैठक 28 जनवरी, 2009 को आयोजित की गयी।

परिषद कार्यालय के विभिन्न अनुभाग

1. प्रबन्ध अनुभाग
2. कोष–लेखा अनुभाग
3. क्रय / स्टोर अनुभाग
4. मान्यता अनुभाग
5. हाईस्कूल परीक्षा अनुभाग
6. इण्टर परीक्षा अनुभाग
7. सिस्टम सेल
8. सन्निरीक्षा अनुभाग
9. सेन्ट्रल यूनिट अनुभाग
10. गोपनीय–01 अनुभाग
11 गोपनीय–02 अनुभाग
12. गोपनीय–03 अनुभाग
13. गोपनीय–04 अनुभाग
14. गोपनीय–05 अनुभाग
15. गोपनीय–06 अनुभाग
16. समन्वय अनुभाग
17. समादेश अनुभाग
18. रसीद अनुभाग
19. विभागीय परीक्षा अनुभाग
20. हाईस्कूल अभिलेख अनुभाग
21. इण्टर अभिलेख अनुभाग
22. परिषद् अनुभाग
23. पाठ्यक्रम एवं शोध अनुभाग
24. सूचना का अधिकार अनुभाग
25. यू0टी0ई0टी0 अनुभाग
26. डी0एल0एड0 अनुभाग
27. सूचना संप्रेषण अनुभाग

वर्तमान में परिषद द्वारा संचालित परीक्षाएं

1. हाईस्कूल परीक्षा।
2. इण्टरमीडिएट परीक्षा।
3. एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा।
4. राजीव गाँधी नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा।
5. स्व0 श्री सुरेन्द्र राकेश राजकीय आदर्श आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा।
6. एन0एस0एस0 'बी' एवं 'सी' प्रमाण पत्र परीक्षा।
7. द्विवर्षीय डिप्लोमा इन एलीमैन्ट्री एजुकेशन (डी0एल0एड0) प्रवेश परीक्षा एवं सेमेस्टर परीक्षा।
8. उत्तराखण्ड अध्यापक पात्रता परीक्षा

विद्यालयों हेतु वित्तविहीन मान्यता

उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा अधिनियम वर्ष–2006 की धारा–24 के अन्तर्गत प्रख्यापित विनियम वर्ष–2009 के अध्याय–7 के बिन्दु संख्या–9 (अ) पृष्ठ संख्या–97 से 99 तक में दी गई व्यवस्था के अनुसार परिषदीय परीक्षाओं के प्रयोजन हेतु विद्यालयों को वित्त विहीन मान्यता प्रदान करने के मानकः–

हाईस्कूल नवीन की मान्यता

मान्यता हेतु आवेदन शुल्क–रू010000/–(01 अप्रैल से 31 जुलाई तक रू010000/– 01 अगस्त से 31 अक्टूबर तक रू01000/–विलम्ब शुल्क प्रति कलेण्डर मास या उसके भाग के लिये)

(अ) अनिवार्य शर्तें

अनिवार्य शर्तों में किसी भी प्रकार की शिथिलता प्रदान नहीं की जायेगी।

क्रमांक	मानक	विवरण
1	पंजीकरण	समिति का पंजीकृत तथा आतिथि नवीनीकृत होना अनिवार्य होगा।
2	प्रशासन योजना	विद्यालय की प्रशासन योजना सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित होना अनिवार्य है।
3	प्राभूत कोष	प्राभूत कोष के रूप में 20000.00 रूपये केवल विद्यालय के नाम जमा एवं निरीक्षण अधिकारी के पदनाम में बन्धक होना अनिवार्य होगा। नये विद्यालय की मान्यता हेतु प्राभूत कोष अचल सम्पत्ति के रूप में स्वीकार्य नहीं होगा।
4	सुरक्षित कोष	प्राभूत कोष के रूप में 10000.00 रूपये केवल विद्यालय के नाम जमा तथा मुख्य शिक्षा अधिकारी के पदनाम में बन्धक होना अनिवार्य होगा।
5	भवन	संस्था के पास भवन के लिये निम्नलिखित माप के पक्के कक्ष होंगेः– (क)8मी0X6मी0 या 48 वर्ग मी0 पांच शिक्षण कक्ष(जूनियर हाईस्कूल की कक्षाओं सहित), (बालिका विद्यालयों में 6मी0X6मी0 या 36 वर्ग मी0 माप के शिक्षण कक्ष विशेष परिस्थिति में मान्य होंगे)। (ख)6मी0X5मी0 या 30 वर्ग मी0 के एक कक्ष वैकल्पिक विषय हेतु। (ग)4मी0X3मी0 माप के दो प्रशासकीय कक्ष। (घ)9मी0X6मी0 माप के विज्ञान एवं गृह विज्ञान हेतु अलग–अलग प्रयोगशाला कक्ष। जूनियर स्तर पर 9मी0X6मी0 माप की एक प्रयोगशाला अलग से होना आवश्यक होगा। (ङ)6मी0X5मी0 या 30 वर्ग मी0 माप का संगीत,सिलाई, कला,कृषि तथा वाणिज्य आदि के लिये एक कामन कक्ष होना अनिवार्य है। (च)8मी0X6मी0 या 48 वर्ग मी0 माप का पुस्तकों से युक्त पुस्तकालय हेतु एक कक्ष।
	भूमि	विद्यालय के नाम जिस पर भवन बना हो उसका विवरण निम्नवत है– (1)शहरी क्षेत्र(नगर निगम,नगरपालिका,टाउन एरिया) में 1000 वर्ग मी0 अथवा चौथाई एकड़ तथा (2)ग्रामीण क्षेत्र में 2000 वर्ग मी0 अथवा आधा एकड़ भूमि होना अनिवार्य है।(शा0सं061/xxiv–4/1(3)2010 दिनांकः6 जून, 2013 के द्वारा संशोधित) भूमि विद्यालय के प्रबन्धक अथवा अन्य किसी व्यक्ति के नाम से होने पर मान्य नहीं होगी।
	क्रीड़ास्थल	शहरी क्षेत्र के लिये एक बालीबाल खेलने हेतु मैदान(162 वर्ग मी0 से कम न होगा) तथा ग्रामीण क्षेत्र के लिये 648 वर्ग मीटर का मैदान होना अनिवार्य होगा। क्रीड़ास्थल विद्यालय परिसर में होना आवश्यक है।
6	आवेदन शुल्क	मान्यता हेतु निर्धारित आवेदन शुल्क राजकोष में जमा कर कोष पत्र की मूल प्रति संलग्न होना अनिवार्य होगा। मान्यता शुल्क लेखा शीर्षक निम्नवत् है – 0202 – शिक्षा, खेल कला एवं संस्कृति, 01 – सामान्य शिक्षा, 101 – माध्यमिक शिक्षा, 10 – मान्यता शुल्क

(ब) सामान्य शर्तें

क्रमांक	मानक	विवरण
1	काष्ठोपकरण	80 सैट सज्जा होना अनिवार्य होगा तथा यह व्यवस्था जूनियर कक्षाओं के अतिरिक्त होगी।
2	शौचालय एवं पेयजल	शौचालय एवं पीने के पानी के लिये हैण्ड पम्प या अन्य कोई समुचित व्यवस्था पूर्ण होना आवश्यक है।
3	पुस्तकालय	3000.00 रू0 मूल्य के हाईस्कूल स्तरीय पुस्तकों(पाठ्य पुस्तकों के इतर) का होना आवश्यक होगा।
4	सामान्य शिक्षण सामग्री	जूनियर कक्षाओं के अतिरिक्त हाईस्कूल स्तरीय 2000.00 रू0 मूल्य की सामान्य शिक्षण सामग्री होना आवश्यक होगा।
5	विज्ञान शिक्षण सामग्री	जूनियर कक्षाओं के अतिरिक्त हाईस्कूल स्तरीय 20000/—रू0 की वैज्ञानिक यन्त्रादि/उपकरण होना आवश्यक है।
6	गृह विज्ञान शिक्षण सामग्री	रू05000/—रू0 मूल्य की गृह विज्ञान सामग्री होना आवश्यक होगा।
7	संगीत,कृषि एवं सिलाई विषय के उपकरण	रू05000.00 मूल्य के उपकरण होने आवश्यक होंगे।
8	छात्र संख्या	जूनियर स्तर पर स्थाई मान्यता प्राप्त विद्यालयों की कक्षा—6,7,8 में कम सं कम 135 छात्र होने आवश्यक होंगे(बालिका विद्यालयों में यह संख्या 75 से कम न होगी)।

टिप्पणी:

1. पुस्तकालय,सामान्य शिक्षण सामग्री,विज्ञान,गृह विज्ञान,कृषि एवं सिलाई विषय हेतु सामग्री/उपकरण का सत्यापन निरीक्षण अधिकारी द्वारा किया जायेगा अथवा इतनी ही धनराशि अलग—अलग मद में केवल विद्यालय के नाम जमा एवं मुख्य शिक्षा अधिकारी के पदनाम में प्रतिश्रुत होने पर ही स्वीकार होगा।
2. मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा विद्यालय के निरीक्षणोपरान्त लगाये गये समस्त प्रमाण मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा स्वयं प्रमाणित होना अनिवार्य होगा।
3. आवेदित मान्यता हेतु निरीक्षण आख्या प्रपत्र पर मुख्य शिक्षा अधिकारी की स्पष्ट संस्तुति/असंस्तुति का होना अनिवार्य है।

उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा अधिनियम वर्ष–2006 की धारा–24 के अन्तर्गत प्रख्यापित विनियम वर्ष–2009 के अध्याय–7 के बिन्दु संख्या–9 (ब) पृष्ठ संख्या–99 से 105 तक में दी गई व्यवस्था के अनुसार परिषदीय परीक्षाओं के प्रयोजन हेतु विद्यालयों को वित्त विहीन मान्यता प्रदान करने के मानकः–

<u>इण्टरमीडिएट नवीन/अतिरिक्त वर्ग(केवल छः विषयों में) तथा अतिरिक्त विषय की मान्यता</u>

मान्यता हेतु आवेदन शुल्क–रू010000/–प्रथम बार इण्टर नवीन मान्यता हेतु प्रति वर्ग, रू05000/– इण्टर अतिरिक्त वर्ग की मान्यता हेतु, रू05000/– के अधीन रखते हुए रू02500/– इण्टर प्रति विषय(01 अप्रैल से 31 जुलाई तक रू010000/– 01 अगस्त से 31 अक्टूबर तक रू01000/–विलम्ब शुल्क प्रति कलेण्डर मास या उसके भाग के लिये)

<u>(अ) अनिवार्य शर्तें</u>

अनिवार्य शर्तों में किसी भी प्रकार की शिथिलता प्रदान नहीं की जायेगी।

क्रमांक	मानक	विवरण
1	पंजीकरण	सुसाइटी पंजीकृत एवं आतिथि नवीनीकृत होना अनिवार्य है।
2	**हाईस्कूल की मान्यता की अनिवार्य शर्त के साथ–साथ निम्नलिखित शर्तों का पूर्ण होना आवश्यक होगा।**	
	भवन	3000.00 रू0 मूल्य के हाईस्कूल स्तरीय पुस्तकों(पाठ्य पुस्तकों के इतर) का होना आवश्यक होगा।
3	प्राभूत कोष एवं सुरक्षित कोष	प्राभूत कोष रु0 10000.00 तथा सुरक्षित कोष रु0 5000.00 (हाईस्कूल के अतिरिक्त) विद्यालय के नाम जमा एवं मुख्य शिक्षा अधिकारी के पदनाम बन्धक होना अनिवार्य है।
4	परीक्षाफल	इण्टर नवीन हेतु गत दो वर्षों का हाईस्कूल परीक्षाफल तथा इण्टर अतिरिक्त वर्ग हेतु इण्टर गत दो वर्षों का परीक्षाफल 50 % आवश्यक है।

<u>(ब) सामान्य शर्तें</u>

क्रमांक	मानक	विवरण
1	छात्र संख्या	इण्टरमीडिएट नवीन की मान्यता हेतु हाईस्कूल के मान्यता प्राप्त विद्यालयों में छात्र संख्या 150 होना आवश्यक होगा।
2	शौचालय एवं पेयजल	शौचालय एवं पीने के पानी के लिये हैण्ड पम्प, पाइप लाइन या अन्य कोई समुचित व्यवस्था पूर्ण होना आवश्यक है।
3	काष्ठोपकरण	कक्षा–11 व 12 के प्रत्येक वर्ग के लिये 80 सैट सज्जा हाईस्कूल के छात्र संख्या के अतिरिक्त होना चाहिये। वैज्ञानिक वर्ग के प्रत्येक प्रयोगशाला के लिये तीन–तीन प्रयोगात्मक मेजें होना आवश्यक है।
4	पुस्तकालय	इण्टरमीडिएट स्तर के 5000/– मूल्य की पुस्तकें (पाठ्य पुस्तकों से इतर) प्रत्येक वर्ग के लिये होना आवश्यक होगा।
5	सामान्य शिक्षण सामग्री	इण्टरमीडिएट स्तर हेतु 2000/– रू0 मूल्य की सामान्य शिक्षण सामग्री आवश्यक होगी।
6	विज्ञान उपकरण	इण्टरमीडिएट वैज्ञानिक वर्ग हेतु 25000/–रू0 मूल्य के विज्ञान उपकरण होना आवश्यक होगा।
7	गृह विज्ञान सामग्री	इण्टरमीडिएट स्तर हेतु 5000/–रुपया मूल्य की गृह विज्ञान सामग्री होना आवश्यक होगा।

क्रमांक	मानक	विवरण
8	कृषि उपकरण	इण्टरमीडिएट कृषि हेतु 10000/— रू0 के उपकरण/कृषि यन्त्रदि होने आवश्यक होंगे।
9	कम्प्यूटर कक्ष	9मी0X6मी0 का कम्प्यूटर कक्ष जिसमें पांच कम्प्यूटर स्थापित हों। कम्प्यूटर विषय हेतु निर्धारित अन्य शर्तें भी पूरी करनी होंगी।

नोट— इण्टरमीडिएट अतिरिक्त विषय/विषयों में मान्यता हेतु भूमि के स्वामित्व,प्राभूत एवं सुरक्षित कोष के साक्ष्य प्रस्तुत करना आवश्यक नही होगा।

इण्टरमीडिएट नवीन मानविकी वर्ग हेतु
(अ) अनिवार्य शर्तें

अनिवार्य शर्तों में किसी भी प्रकार की शिथिलता प्रदान नहीं की जायेगी।

क्रमांक	मानक	विवरण
1	पंजीकरण	सुसाइटी पंजीकृत एवं आतिथि नवीनीकृत होना अनिवार्य है।
2	**हाईस्कूल की मान्यता की अनिवार्य शर्त के साथ—साथ निम्नलिखित शर्तों का पूर्ण होना आवश्यक होगा।**	
	भवन	(क) 8मी0X6मी0 या 48 वर्ग मी0 माप के दो शिक्षण कक्ष। बालिका विद्यालयों में 6मी0X6मी0 माप के शिक्षण कक्ष मान्य होंगे। (ख)6मी0X5मी0 या 30 वर्ग मी0 माप का एक वैकल्पिक कक्ष। (ग)6मी0X5मी0 या 30 वर्ग मी0 माप का एक नृत्य कला कक्ष। संगीत विषय की मान्यता के लिये। (घ)6मी0X5मी0 या 30 वर्ग मी0 माप का एक कला कक्ष। कला विषय की मान्यता के लिये। (ङ)9मी0X6मी0 या 54 वर्ग मी0 माप का गृह विज्ञान,भूगोल, सैन्य विज्ञान, काष्ठ शिल्प, ग्रन्थ शिल्प तथा चर्म शिल्प आदि के लिये एक प्रयोगशाला अलग—अलग होना आवश्यक होगा। (च)9मी0X6मी0 या 54 वर्ग मी0 माप का एक कम्प्यूटर कक्ष जिसमें 5 कम्प्यूटर यंत्र उचित विद्युत व्यवस्था जनरेटर सहित होना अनिवार्य है। कम्प्यूटर विषय हेतु निर्धारित अन्य शर्तें भी पूरी करनी होगी।
3	प्राभूत कोष, सुरक्षित कोष, परीक्षाफल, छात्र संख्या के प्रतिबन्ध	इण्टरमीडिएट नवीन/अतिरिक्त वर्ग में उल्लिखित शर्तों के अनुसार मान्य होंगे।

(ब) सामान्य शर्तें

क्रमांक	मानक	विवरण
1	काष्ठोपकरण	कक्षा–11 व 12 के प्रत्येक वर्ग के लिये 80 सैट सज्जा हाईस्कूल के छात्र संख्या के अतिरिक्त होना चाहिये।
2	शौचालय एवं पेयजल	शौचालय एवं पीने के पानी के लिये हैण्ड पम्प, पाइप लाइन या अन्य कोई समुचित व्यवस्था पूर्ण होना आवश्यक है।
3	पुस्तकालय	इण्टरमीडिएट स्तर के 5000/– मूल्य की पुस्तकें (पाठ्य पुस्तकों से इतर) होना आवश्यक होगा।
4	सामान्य शिक्षण सामग्री	2000/– रू0 मूल्य की सामान्य शिक्षण सामग्री आवश्यक होगी।
5	गृह विज्ञान, भूगोल, सैन्य विज्ञान, काष्ठ शिल्प, ग्रन्थ शिल्प तथा चर्म शिल्प शिक्षण सामग्री	प्रत्येक विषय के लिये 5000/– रू0 मूल्य की शिक्षण सामग्री आवश्यक होगी।

पंजीकरण कक्षा 9 से कक्षा 12 तक

सत्र 2005–06 से उत्तराखण्ड में प्रथम बार सी0बी0एस0ई0 पैटर्न लागू किया गया। सी0बी0एस0ई0 पैटर्न लागू होने के कारण सी0बी0एस0ई0 की तरह ही उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् द्वारा कक्षा 09 में सत्र 2005–06 से पंजीकरण की प्रक्रिया प्रारम्भ की गयी।

विनियम के अध्याय बारह (परीक्षाओं सम्बंधित सामान्य विनियम) के क्रम 3(ड़) के अनुसार कक्षा 10वीं की संस्थागत परीक्षा में वही अभ्यर्थी बैठने के पात्र होंगें, जिन्होंने कक्षा 9 में अपना पंजीकरण कराया हो। संस्था के प्रधान अपंजीकृत अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र किसी भी दशा में अग्रसारित नही करेंगे। प्रतिबन्ध यह है कि अन्य परिषदों से कक्षा 10 में स्थानान्तरित अभ्यर्थी का कक्षा 10 में ही पंजीकरण होगा।

उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् से सम्बद्ध विद्यालयों में कक्षा 09 में अध्ययनरत समस्त विद्यार्थियों का पंजीकरण होना अनिवार्य है। किसी भी दशा में छात्र का पंजीकरण केवल एक बार होगा तथा उसे अनुदानित की गई पंजीकरण संख्या स्थाई होगी और यह कक्षा परिवर्तन अथवा विद्यालय परिवर्तन होने पर भी अपरिवर्तित रहेगी। कक्षा 10, 11 एवं 12 में छात्र का पंजीकरण केवल इस स्थिति में होगा कि वह किसी अन्य बोर्ड से स्थानान्तरित होकर इस बोर्ड में आया हो या उसका पूर्व में कक्षा 09 में पंजीकरण नहीं हुआ हो।

विगत 4 वर्षो में पंजीकृत छात्रों की संख्या वर्षवार निम्नवत है :–

क्र0सं0	वर्ष	पंजीकृत छात्र/छात्राओं की संख्या
1	2012–13	160995
2	2013–14	159269
3	2014–5	155095
4	2015–16	148448

विगत वर्षो की पंजीकरण संख्या 14 अंकों वाली थी। जिसके प्रथम दो अंक पंजीकरण का वर्ष, अगले तीन अंक जनपद कोड,अगले तीन अंक विद्यालय कोड,व अन्तिम छः अंक पंजीकरण फार्म का क्रमांक दर्शाते थे। यह एक स्थायी संख्या है। यह संख्या विद्यालय परिवर्तित होने पर भी नहीं बदलती है। यह पंजीकरण संख्या आनलाईन पंजीकरण प्रक्रिया से पूर्व की है। वर्तमान सत्र 2016–17 से पंजीकरण की आन लाईन प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई है।

कक्षा 9वीं में अंक विभाजन
9th CLASS MARKS DISTRIBUTION

SUBJECT	TOTAL MARKS	THEORY	PRACTICAL	CCE / IA	TOOLS	MARKS
HINDI	100	80	-	20	1- UNIT TEST (2 before & 2 after half yearly Examination) 2- ASSIGNMENT / HOME WORK 3- PRACTICAL SKILL (LISTENING WITH UNDERSTANDING/SPEAKING/ READING /WRITING)	10 06 04
ENGLISH	100	80	-	20	1- UNIT TEST (2 before & 2 after half yearly Examination) 2- ASSIGNMENT / HOME WORK 3-PRACTICAL SKILL (LISTENING WITH UNDERSTANDING/SPEAKING/ READING /WRITING)	10 06 04
SANSKRIT	100	80	-	20	1- UNIT TEST (2 before & 2 after half yearly Examination) 2- ASSIGNMENT / HOME WORK 3- PRACTICAL SKILL (LISTENING WITH UNDERSTANDING/SPEAKING/ READING /WRITING)	10 06 04
MATHEMATICS	100	80	-	20	1- UNIT TEST (2 before & 2 after half yearly Examination) 2- ACTIVITIES 3-PROJECT	10 05 05
HOME SCIENCE	100	65	20	15	1- UNIT TEST (2 before & 2 after half yearly Examination) 2- PROJECT	10 05
SCIENCE	100	70	20	10	UNIT TEST (2 before & 2 after half yearly Examination)	10
SOCIAL SCIENCE	100	80	-	20	1- UNIT TEST (2 before & 2 after half yearly Examination) 2- PROJECT 3-ASSIGNMENT	10 05 05
MUSIC	100	25	60	15	1- UNIT TEST (2 before & 2 after half yearly Examination) 2-ASSIGNMENT	10 05
PAINTING	100	50	-	50	1- UNIT TEST (2 before & 2 after half yearly Examination) 2- CREATIVE PROJECT (TOTAL 4 PROJECTS) (Each Project Carries 20Marks) (2 before & 2 after half yearly Examination)	10 40
ELEMENTS OF BUSINESS	100	80	-	20	1- UNIT TEST (2 before & 2 after half yearly Examination) 2- ASSIGNMENT / HOME WORK /CREATIVITY & INNOVATIVE IDEAS OF BUSINESS	10 10
ELEMENTS OF BOOK KEEPING & ACCOUNTING	100	80	-	20	1- UNIT TEST (2 before & 2 after half yearly Examination) 2- PRACTICAL ACCOUNTING (Maintainance of Account)	10 10
INFORMATION TECHNOLOLOGY	100	40	40	20	1- UNIT TEST (2 before & 2 after half yearly Examination) 2- ASSIGNMENT / HOME WORK	10 10
URDU & OTHER LANGUAGES	100	80	-	20	1- UNIT TEST (2 before & 2 after half yearly Examination) 2- ASSIGNMENT / HOME WORK 3-PRACTICAL SKILL (LISTENING WITH UNDERSTANDING/SPEAKING/ READING /WRITING)	10 06 04
AGRICULTURE	100	50	40	10	UNIT TEST (2 before & 2 after half yearly Examination)	10

कक्षा 11वीं में अंक विभाजन
11th CLASS MARKS DISTRIBUTION

SUBJECT	TOTAL MARKS	THEORY	PRACTICAL	CCE / IA	TOOLS	MARKS
HINDI	100	80	-	20	1- UNIT TEST (2 before & 2 after half yearly Examination) 2- ATTENDANCE 02>85% & 01> 80% but <= 85% 3-ASSIGNMENT / HOME WORK 4-PRACTICAL SKILL (LISTENING WITH UNDERSTANDING / SPEAKING /READING / WRITING)	10 02 04 04
ENGLISH	100	80	-	20	1- UNIT TEST (2 before & 2 after half yearly Examination) 2- ATTENDANCE 02>85% & 01> 80% but <= 85% 3-ASSIGNMENT / HOME WORK 4-PRACTICAL SKILL (LISTENING WITH UNDERSTANDING / SPEAKING / READING / WRITING)	10 02 04 04
SANSKRIT	100	80	-	20	1- UNIT TEST (2 before & 2 after half yearly Examination) 2- ATTENDANCE 02>85% & 01> 80% but <= 85% 3-ASSIGNMENT / HOME WORK 4-PRACTICAL SKILL (LISTENING WITH UNDERSTANDING / SPEAKING /READING / WRITING)	10 02 04 04
HISTORY	100	80	-	20	1- UNIT TEST (2 before & 2 after half yearly Examination) 2- ATTENDANCE 02>85% & 01> 80% but <= 85% 3-PROJECT 4-ASSIGNMENT/HOME WORK	10 02 04 04
GEOGRAPHY	100	60	30	10	1- UNIT TEST (2 before & 2 after half yearly Examination) 2- ATTENDANCE 02>85% & 01> 80% but <= 85%	08 02
ECONOMICS	100	80		20	1- UNIT TEST (2 before & 2 after half yearly Examination) 2- ATTENDANCE 02>85% & 01> 80% but <= 85% 3- PROJECT 4- ASSIGNMENT / HOME WORK	10 02 04 04
HOME SCIENCE	100	60	30	10	1- UNIT TEST (2 before & 2 after half yearly Examination) 2- ATTENDANCE 02>85% & 01> 80% but <= 85%	08 02
POLITICAL SCIENCE	100	80	-	20	1- UNIT TEST (2 before & 2 after half yearly Examination) 2- ATTENDANCE 02>85% & 01> 80% but <= 85% 3-PROJECT 4-HOME WORK	10 02 04 04
PSYCHOLOGY	100	60	30	10	1- UNIT TEST (2 before & 2 after half yearly Examination) 2- ATTENDANCE 02>85% & 01> 80% but <= 85%	08 02
SOCIOLOGY	100	70	20	10	1- UNIT TEST (2 before & 2 after half yearly Examination) 2- ATTENDANCE 02>85% & 01> 80% but <= 85%	08 02
EDUCATION	100	80	-	20	1- UNIT TEST (2 before & 2 after half yearly Examination) 2- ATTENDANCE 02>85% & 01> 80% but <= 85% 3- PROJECT 4- ASSIGNMENT / HOME WORK	10 02 04 04

SUBJECT	TOTAL MARKS	THEORY	PRACTICAL	CCE / IA	TOOLS	MARKS
LOGIC	100	80	-	20	1- UNIT TEST (2 before & 2 after half yearly Examination) 2- ATTENDANCE 02>85% & 01> 80% but <= 85% 3-ASSIGNMENT / HOME WORK	10 02 08
MILITARY SCIENCE	100	60	30	10	1- UNIT TEST (2 before & 2 after half yearly Examination) 2- ATTENDANCE 02>85% & 01> 80% but <= 85%	08 02
GEOLOGY	100	60	30	10	1- UNIT TEST (2 before & 2 after half yearly Examination) 2- ATTENDANCE 02>85% & 01> 80% but <= 85%	08 02
MATHEMATICS	100	80	-	20	1- UNIT TEST (2 before & 2 after half yearly Examination) 2- ATTENDANCE 02>85% & 01> 80% but <= 85% 3-ASSIGNMENT / HOME WORK	10 02 08
PHYSICS	100	60	30	10	1- UNIT TEST (2 before & 2 after half yearly Examination) 2- ATTENDANCE 02>85% & 01> 80% but <= 85%	08 02
CHEMISTRY	100	60	30	10	1- UNIT TEST (2 before & 2 after half yearly Examination) 2- ATTENDANCE 02>85% & 01> 80% but <= 85%	08 02
BIOLOGY	100	60	30	10	1- UNIT TEST (2 before & 2 after half yearly Examination) 2- ATTENDANCE 02>85% & 01> 80% but <= 85%	08 02
ACCOUNTANCY	100	80	-	20	1- PRACTICAL WORK 2- ATTENDANCE 02>85% & 01> 80% but <= 85% 3-PROJECT 4-VIVA	10 02 04 04
BUSINESS STUDIES	100	80	-	20	1- UNIT TEST (2 before & 2 after half yearly Examination) 2- ATTENDANCE 02>85% & 01> 80% but <= 85% 3- PROJECT	08 02 10
COMPUTER	100	60	30	10	1- UNIT TEST (2 before & 2 after half yearly Examination) 2- ATTENDANCE 02>85% & 01> 80% but <= 85%	08 02
MUSIC	100	30	50	20	1- UNIT TEST (2 before & 2 after half yearly Examination) 2- INFORMATION AND PRESENTATION OF DIFFERENT KINDS OF MUSICAL INSTRUMENTS **OR** INFORMATION AND PRESENTATION OF DIFFERENT KINDS OF RAGAS 2- ATTENDANCE 02>85% & 01> 80% but <= 85%	10 08 02
DRAWING & PAINTING	100	30	50	20	1- VIVA 2- ATTENDANCE 02>85% & 01> 80% but <= 85% 3- ANNUAL WORK/ HOME WORK	08 02 10
URDU	100	80	-	20	1- UNIT TEST (2 before & 2 after half yearly Examination) 2- ATTENDANCE 02>85% & 01> 80% but <= 85% 3-ASSIGNMENT / HOME WORK 4- PRACTICAL SKILL (LISTENING WITH UNDERSTANDING / SPEAKING /READING / WRITING)	10 02 04 04
PUNJABI	100	80	-	20	1- UNIT TEST (2 before & 2 after half yearly Examination) 2- ATTENDANCE 02>85% & 01> 80% but <= 85% 3-ASSIGNMENT / HOME WORK 4- PRACTICAL SKILL (LISTENING WITH UNDERSTANDING / SPEAKING /READING / WRITING)	10 02 04 04
OTHER LANGUAGES	100	80	-	20	1- UNIT TEST (2 before & 2 after half yearly Examination) 2- ATTENDANCE 02>85% & 01> 80% but <= 85% 3-ASSIGNMENT / HOME WORK 4- PRACTICAL SKILL (LISTENING WITH UNDERSTANDING / SPEAKING /READING / WRITING)	10 02 04 04

शैक्षिक मूल्यांकन हेतु दिशा–निर्देश
(इकाई परीक्षा, गृह कार्य एवं प्रोजेक्ट कार्य)

इकाई परीक्षा **(Unit Test)**

1. शिक्षा सत्र में कुल 04 इकाई परीक्षाऐं ली जायेंगी, जिसमें से 02इकाई परीक्षायें अर्द्धवार्षिक परीक्षा से पूर्व तथा 02 इकाई परीक्षायें अर्द्धवार्षिक परीक्षा के बाद ली जायेंगी।
2. इकाई परीक्षा का आयोजन माह–मई/जुलाई, अगस्त, नवम्बर, दिसम्बर/जनवरी माह में किया जायेगा।

नोट :–

- ❖ जिन विद्यालयों में दीर्घावकाश जनवरी माह में होगा, उन विद्यालयों में इकाई परीक्षा जनवरी के स्थान पर दिसम्बर में आयोजित होगी।
- ❖ कक्षा – 11 की इकाई परीक्षा अगस्त, सितम्बर, नवम्बर एवं दिसम्बर/जनवरी माह में आयोजित होंगी।

3. इकाई परीक्षाऐं निर्धारित माह के अन्तिम तीन कार्य दिवसों में सम्पादित की जायेंगी। प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक समस्त परीक्षार्थियों को अवगत करा दें जिससे परीक्षार्थी परीक्षा हेतु मानसिक रूप से तैयार हो सकें। इकाई परीक्षा दिवसों में इकाई परीक्षाओं के अतिरिक्त शेष समय में शिक्षण कार्य विधिवत जारी रहेगा तथा विद्यालय निर्धारित समय पर ही बन्द होगा।
4. प्रत्येक इकाई परीक्षा एक घण्टे की होगी, इसके अतिरिक्त 20 मिनट छात्रों को प्रश्न लिखने के लिए दिये जायेंगे।
5. प्रत्येक इकाई परीक्षा, परीक्षा तिथि से पूर्व किए गये इकाई शिक्षण कार्य के आधार पर ली जायेगी।
6. विषय अध्यापक प्रत्येक इकाई परीक्षा के प्रश्न–निर्माण में ज्ञानात्मक, बोधात्मक, कौशलात्मक एवं अनुप्रयोगात्मक के आधार पर अति लघुउत्तरीय, लघुउत्तरीय/दीर्घउत्तरीय प्रश्नों का समावेश करेंगे। परीक्षा से कम से कम 10 दिन पूर्व प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य यह सुनिश्चित करेंगे कि अध्यापक के द्वारा निर्मित प्रश्न–पत्र उपरोक्त निर्देशानुसार बना है या नहीं। प्रश्न–पत्र में प्रश्नों की पुनरावृत्ति कदापि नहीं की जायेगी।
7. इकाई परीक्षा हेतु छात्र प्रत्येक विषय के लिए अपनी अलग–अलग एक–एक नोट बुक रखेंगे, जिसमें समस्त इकाई परीक्षाओं का उत्तर लिखा जायेगा।
8. विद्यालय में गृह परीक्षा प्रकोष्ठ स्थापित होगा जो इकाई परीक्षाओं का संचालन उसी प्रकार करेगा, जैसा वार्षिक/अर्द्धवार्षिक परीक्षा में किया जाता है। इकाई परीक्षाओं के सम्पन्न होनें के 03 दिन के अन्दर उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किया जायेगा तथा अंक सूची गृह परीक्षा प्रकोष्ठ प्रभारी के पास जमा की जायेगी। गृह परीक्षा प्रकोष्ठ प्रभारी अंक सूचियों का अवलोकन प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य से करायेंगे। विषय अध्यापक मूल्यांकन के पश्चात उत्तर पुस्तिकाओं को विद्यार्थियों एवं अभिभावकों से अवलोकित कराकर सम्बन्धित विषय के प्रश्न–पत्र का आदर्श हल भी करायेंगे तथा सम्बन्धित विषय अध्यापक उत्तर पुस्तिकाओं को अपने पास सुरक्षित रखेंगे।
9. इकाई परीक्षा के मूल्यांकन के आधार पर विषय अध्यापक कमजोर छात्रों की सूची तैयार करके अपनी शिक्षक दैनन्दिनी में छात्रों के नाम अंकित करेंगे तथा एक प्रति प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक को देंगे। इसके पश्चात ऐसे कमजोर छात्रों का उपचारात्मक शिक्षण आगामी कार्य दिवसों में किया जायेगा।
10. विद्यार्थियों को प्रथम इकाई परीक्षा में जो अनुक्रमांक आवंटित किया जायेगा, वार्षिक परीक्षा तक उसका अनुक्रमांक न बदला जाय।
11. प्रथम व द्वितीय इकाई परीक्षाओं (Unit Test) का औसत अर्द्धवार्षिक परीक्षाफल निर्माण में सम्बन्धित विषय में लिया जायेगा। इसी भाँति तृतीय व चतुर्थ इकाई परीक्षाओं (Unit Test) का औसत वार्षिक परीक्षाफल निर्माण में सम्बन्धित विषय में लिया जायेगा।

उदाहरण – यदि परीक्षार्थी प्रथम इकाई परीक्षा में 10 में से 08 अंक तथा द्वितीय इकाई परीक्षा में अनुपस्थित रहता है तो परीक्षार्थी का दोनो इकाई परीक्षाओं का औसत 04 अंक होगा।

12- यदि परीक्षार्थी अस्वस्थता के कारण किसी भी इकाई परीक्षा में अनुपस्थित रहता है तो प्रधानाचार्य उसके लिए अलग से इकाई परीक्षा करा सकते हैं।

गृह कार्य (Home Work) (कक्षा – 9 से 12)

गृह कार्य में निम्नलिखित बिन्दुओं के अनुसार मूल्यांकन किया जायेगा–

a) गृह कार्य की नियमितता

b) निर्देशानुसार किया गया मात्रात्मक गृह कार्य

c) प्रश्नों के अनुसार उत्तरों की उपयुक्तता

d) अभिनवता (यदि विद्यार्थी नें उत्तर लिखते समय पाट्य पुस्तक के अतिरिक्त उत्तर हेतु सामग्री एकत्र की)

प्रोजेक्ट कार्य (Project Work) :–

❖ **विद्यार्थी प्रत्येक विषय में विषयाध्यापक के निर्देशन में विषयगत प्रकरणों पर प्रोजेक्ट तैयार करेंगे। इसके अन्तर्गत विद्यार्थी द्वारा विषय से सम्बन्धित प्रकरण पर रिपोर्ट/मॉडल/चार्ट/संकलन/शैक्षिक यात्रा–भ्रमण के दौरान एकत्रित विषयगत ज्ञान से सम्बन्धित आख्या आदि प्रकार के अभिनव प्रयोग को सम्मिलित किया जा सकता है।**

इन कार्यो के मूल्यांकन हेतु विषय अध्यापक को ध्यान रखना होगा कि प्रस्तुत किए गये प्रोजेक्ट में सम्बन्धित छात्र का अधिकतम योगदान है या नहीं। बाजार में उपलब्ध मॉडल हूबहू प्रस्तुत नहीं किया जायेगा। छात्रों द्वारा प्रस्तुत प्रोजेक्ट का संरक्षण विद्यालय स्तर पर किया जायेगा। प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक द्वारा भी प्रोजेक्ट का अनुश्रवण कर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि विषयाध्यापक द्वारा छात्रों को दिए गये अंक निर्देशानुसार/अंक विभाजनानुसार हैं अथवा नहीं।

प्रोजेक्ट में निम्नलिखित बिन्दुओं के अनुसार मूल्यांकन किया जायेगा :–

a) विषयवस्तु (क्या प्रोजेक्ट में प्रस्तुत सामग्री पाठ्यवस्तु से मेल खाती है या नहीं)

b) छात्र का परिलक्षित योगदान

c) प्रस्तुतीकरण/अभिलेखीकरण (सुन्दरता, मितव्ययिता तथा उपयोगिता)

विद्यालय स्तर पर शैक्षिक गुणवत्ता एवं प्रशासनिक सुधार तथा गृह परीक्षाओं के परीक्षाफल निर्माण में निम्नलिखित बिन्दुओं का ध्यान रखा जाना है –

1. **विद्यार्थियों को प्रथम इकाई परीक्षा से वार्षिक परीक्षा तक एक ही अनुक्रमांक आवंटित करना।**
2. **कक्षा 9 से 12 के लिए गृह कार्य एवं प्रोजेक्ट कार्य का प्रारूप तय करना।**
3. **कक्षा 10 एवं कक्षा 12 के लिए चतुर्थ इकाई परीक्षा को प्री–बोर्ड का स्वरूप दिया जाय।**

प्रोन्नति के नियम

1. इकाई परीक्षा, प्रोजेक्ट कार्य सहित अर्द्धवार्षिक तथा वार्षिक परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को, जिसका प्रत्येक विषय के प्राप्तांकों का योग 33 प्रतिशत या उससे अधिक होगा, उत्तीर्ण घोषित किया जायेगा।

2- कक्षा 9 व 11 के जो परीक्षार्थी अर्द्धवार्षिक तथा वार्षिक दोनों परीक्षाओं के योग में दो विषयों में अनुत्तीर्ण हैं, उनको अधिकतम 08 अंक का कृपांक देकर प्रोन्नत घोषित किया जायेगा। कृपांक प्राप्त करने हेतु सम्बन्धित विषय में 25 प्रतिशत तथा कुल प्राप्तांकों का योग 33 प्रतिशत होना अनिवार्य है।

3. जिन परीक्षार्थियों ने किसी एक परीक्षा (अर्द्धवार्षिक अथवा वार्षिक) में इकाई परीक्षा सहित सभी विषयों में न्यूनतम 33 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हों परन्तु अस्वस्थ होने के कारण किसी एक परीक्षा (अर्द्धवार्षिक अथवा वार्षिक) में सम्मिलित न हो सका हो तो उनका परीक्षाफल इकाई परीक्षा, अर्द्धवार्षिक अथवा वार्षिक परीक्षा के आधार पर घोषित किया जायेगा। ऐसे परीक्षार्थी को राजकीय चिकित्सालय के चिकित्साधिकारी का चिकित्सा प्रमाण पत्र या गैर सरकारी चिकित्सक की स्थिति में चिकित्सा प्रमाण पत्र मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित करवा कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। ऐसी स्थिति में उन्हें 04 अंक का कृपांक देय होगा।

4. यदि परीक्षार्थी किसी एक परीक्षा (अर्द्धवार्षिक या वार्षिक में से किसी एक परीक्षा) के सभी विषयों में सम्मिलित हुआ हो किन्तु दूसरी परीक्षा (वार्षिक या अर्द्धवार्षिक) में आंशिक रूप से सम्मिलित हुआ हो तो उसका परीक्षाफल दोनों परीक्षाओं में सम्मिलित विषयों के प्राप्ताकों तथा पूर्णांकों के आधार पर घोषित किया जायेगा। इस स्थिति में अधिकतम 04 अंकों का कृपांक देय होगा। विद्यार्थी को अनुपस्थित परीक्षाकाल के लिए राजकीय चिकित्सालय के चिकित्साधिकारी का चिकित्सा प्रमाण पत्र या गैर सरकारी चिकित्सक की स्थिति में चिकित्सा प्रमाण पत्र मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित करवा कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

5. अर्द्धवार्षिक तथा वार्षिक परीक्षा के अंकों को मिलाकर यदि परीक्षार्थी उत्तीर्ण नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में परीक्षार्थी को वार्षिक परीक्षा के आधार पर कक्षोन्नति दी जायेगी। प्रतिबन्ध यह है कि परीक्षार्थी वार्षिक परीक्षा में सभी विषयों में उत्तीर्ण हो तथा उसके वार्षिक परीक्षा के प्राप्तांकों का योग न्यूनतम 40 प्रतिशत हो।

6. कक्षा में स्थान प्राप्त करने का अधिकारी वही परीक्षार्थी होगा जो इकाई परीक्षा, प्रोजेक्ट कार्य सहित अर्द्धवार्षिक तथा वार्षिक परीक्षाओं में सम्मिलित हुआ हो तथा जिसके प्रत्येक विषय में प्राप्तांकों का योग 33 प्रतिशत या अधिक हो।

7. कक्षा 9 में गणित एवं सामाजिक विज्ञान विषयों में उत्तीर्ण होने के लिए सैद्धान्तिक तथा आन्तरिक मूल्यांकन दोनों भागों में मिलाकर 33 प्रतिशत प्राप्तांक प्राप्त करना अनिवार्य है। परीक्षार्थी को नियमानुसार कृपांक तभी देय होगा जबकि उसके द्वारा कुल मिलाकर न्यूनतम 25 प्रतिशत अंक प्राप्त किये गये हों। प्रतिबन्ध यह है कि परीक्षार्थी सैद्धान्तिक तथा आन्तरिक मूल्यांकन दोनों भागों में अनिवार्य रूप से सम्मिलित हुआ हो।

8. कक्षा 9 में विज्ञान एवं गृह विज्ञान विषयों में सैद्धान्तिक, प्रयोगात्मक तथा इकाई परीक्षा में अंकों का योग 33 प्रतिशत होने पर उत्तीर्ण घोषित किया जायेगा। परीक्षार्थी को नियमानुसार कृपांक तभी देय होगा जबकि उसके द्वारा कुल मिलाकर न्यूनतम 25 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हों। प्रतिबन्ध यह है कि परीक्षार्थी सैद्धान्तिक तथा प्रयोगात्मक परीक्षा में अनिवार्य रूप से सम्मिलित हुआ हो।

9. कक्षा 9 में (विज्ञान व गृह विज्ञान विषय को छोड़कर) अन्य सभी प्रायोगिक कार्य वाले विषयों मे परीक्षार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए सैद्धान्तिक तथा प्रयोगात्मक दोनों भागों में पृथक–पृथक 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे तथा प्रत्येक भाग में पृथक–पृथक 25 प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर ही परीक्षार्थी कृपांक पाने का अधिकारी होगा।

10. कक्षा 9 में द्वितीय भाषा एवं अतिरिक्त विषय के रूप में ली गयी भाषा में से जिस भाषा में परीक्षार्थी को अधिक अंक प्राप्त होंगे उस भाषा को द्वितीय भाषा मानकर परीक्षाफल तैयार किया जायेगा।

11. कक्षा 9 में अतिरिक्त विषय के अंकों को डिवीजन प्रदान करने हेतु जोड़ा नहीं जायेगा एवं अतिरिक्त विषय में उत्तीर्ण होने हेतु कृपांक भी देय नहीं होगा। केवल अतिरिक्त विषय की भाषा का द्वितीय भाषा के रूप में स्थानान्तरण होने की स्थिति में इस अतिरिक्त विशय की भाषा में,, जिसने अब द्वितीय भाषा का स्थान ग्रहण कर लिया है, नियमानुसार कृपांक देय होगा। इस प्रकार परीक्षाफल पाँच (05) मुख्य विषयों के आधार पर घोषित किया जायेगा।

12. कक्षा 11 में सभी प्रायोगिक कार्य वाले विषयों में परीक्षार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए सैद्धान्तिक तथा प्रयोगात्मक दोनों भागों में पृथक–पृथक 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे तथा प्रत्येक भाग में पृथक–पृथक 25 प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर ही परीक्षार्थी कृपांक पाने का अधिकारी होगा।

13- परीक्षा तिथियों में विभाग के माध्यम से राष्ट्रीय कार्यक्रम/प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने वाले परीक्षार्थी का परीक्षाफल सम्पूर्ण रूप से सम्मिलित परीक्षाओं (इकाई परीक्षा, अर्द्धवार्षिक या वार्षिक) के आधार पर घोषित किया जायेगा।

इस सन्दर्भ में सम्भावित स्थितियां निम्नवत् हैं –

(अ) अर्द्धवार्षिक परीक्षा में सम्मिलित न होने पर परीक्षाफल द्वितीय सत्र के यूनिट टेस्ट सहित वार्षिक परीक्षा के आधार पर घोषित किया जायेगा।

(ब) वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित न होने पर परीक्षाफल प्रथम सत्र के यूनिट टेस्ट सहित अर्द्धवार्षिक परीक्षा के आधार पर घोषित किया जायेगा।

(स) अर्द्धवार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर तथा विभाग के माध्यम से राष्ट्रीय कार्यक्रम/प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के कारण यदि परीक्षार्थी वार्षिक परीक्षा में आंशिक या पूर्ण रूप से सम्मिलित न हो सका हो तो ऐसी स्थिति में उन विषयों की परीक्षा सम्बन्धित विद्यालय द्वारा पृथक रूप से ली जायेगी जिनमें कि परीक्षार्थी सम्मिलित न हो सका हो।

14. कक्षा 09 में विद्यार्थियों को उपस्थिति के लिए अधिकतम 02 अकों का बोनस दिया जायेगा। उपस्थिति 80 प्रतिशत से अधिक तथा 85 प्रतिशत तक होने पर 01 अंक का तथा 85 प्रतिशत से अधिक होने पर 02 अंक का बोनस दिया जायेगा। बोनस अंक परीक्षार्थी के उस विषय में जोड़े जायेंगे जिस विषय में उसने न्यूनतम अंक प्राप्त किये हों।

15. कक्षा 11 में प्रत्येक विषय में अधिकतम 02 अंक उपस्थिति के लिए निर्धारित किये गये हैं। उपस्थिति 80 प्रतिशत से अधिक तथा 85 प्रतिशत तक होने पर 01 अंक का तथा 85 प्रतिशत से अधिक होने पर 02 अंक निर्धारित हैं।

व्यक्तिगत परीक्षार्थी के प्रोन्नति के नियम

1. व्यक्तिगत परीक्षार्थियों को वार्षिक परीक्षा के आधार पर प्रत्येक विषय में 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर प्रोन्नति दी जायेगी।
2. उन विषयों में जिसमें प्रयोगात्मक/प्रोजेक्ट कार्य है, प्रयोगात्मक/प्रोजेक्ट कार्य की परीक्षा अपने पंजीकरण केन्द्र में देनी होगी।
3. व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के लिए उपरोक्तानुसार अधिकतम 08 अंक का कृपांक अधिकतम 02 विषयों में दिया जायेगा।

हाईस्कूल (कक्षा–10) प्रयोगात्मक/आन्तरिक मूल्यांकन विषयों की परीक्षाओं का अंक–विभाजन

क्र0 सं0	विषय कोड	विषय का नाम	अधिकतम अंक	न्यूनतम उत्तीर्णांक	निर्धारित समय	प्रयोगात्मक कार्य	अंक विभाजन
1	031	गणित	20	7	2 घण्टे	1. क्रियाकलाप (02) 2. प्रोजेक्ट कार्य (01) 3. सतत् मूल्यांकन (कक्षा 9 की वार्षिक परीक्षा एवं कक्षा 10 की प्रथम एवं द्वितीय इकाई परीक्षा पर आधारित)	10 Marks 05 Marks 05 Marks
							योगः–20 अंक
2	032	गृह विज्ञान (केवल बालिकाओं के लिए)	20	7	3 घण्टे	(क) 0–3 वर्ष तक के बच्चों के शारीरिक व क्रियात्मक लक्षणों के सम्बन्ध में प्रेक्षण, 1–3 वर्ष तक के बच्चों में खेलों के क्रिया कलाप, उनका खेलों से लगाव और खेल सामग्री का प्रेक्षण तथा बच्चों के लिए उपयुक्त खेल सामग्री का निर्माण हेतु एक प्रोजेक्ट का निर्माण। (ख) पाक क्रिया व सिलाई के एक–एक कुल दो प्रयोग। (ग) सत्रीय कार्य (घ) मौखिक	06 अंक 03+03=06 अंक 05 अंक 03 अंक
							योगः–20 अंक
3	033	विज्ञान	20	7	3 घण्टे	(क) भौतिक विज्ञान प्रयोग (ख) रसायन विज्ञान प्रयोग (ग) जीव विज्ञान प्रयोग (घ) सत्रीय कार्य (ड) मौखिक	05 अंक 05 अंक 05 अंक 03 अंक 02 अंक
							योगः–20 अंक
4	034	सामाजिक विज्ञान	20	7	2 घण्टे	1. असाईनमेन्ट 2. प्रोजेक्ट कार्य 3. सतत् मूल्यांकन (कक्षा 9 की वार्षिक परीक्षा एवं कक्षा 10 की प्रथम एवं द्वितीय इकाई परीक्षा पर आधारित)	05 Marks 05 Marks 10 Marks
							योगः–20 अंक
5	035	हिन्दुस्तानी संगीत (गायन)	75	25	15 से 20 मिनट प्रति परीक्षार्थी	(क) दो प्रयोग, प्रत्येक 30 अंक का (आन्तरिक भागों में परीक्षक अंक का विभाजन स्वयं कर लें)। (ख) सत्रीय कार्य (ग) मौखिक	60 अंक 05 अंक 10 अंक
							योगः–75 अंक

क्र0 सं0	विषय कोड	विषय का नाम	अधिकतम अंक	न्यूनतम उत्तीर्णांक	निर्धारित समय	प्रयोगात्मक कार्य	अंक विभाजन
6	036	हिन्दुस्तानी संगीत (मैलोडिक वादन)	75	25	15 से 20 मिनट प्रति परीक्षार्थी	(क) दो प्रयोग, प्रत्येक 30 अंक का (आन्तरिक भागों में परीक्षक अंक का विभाजन स्वयं कर लें)। (ख) सत्रीय कार्य (ग) मौखिक	60 अंक 05 अंक 10 अंक
							योगः–75 अंक
7	037	हिन्दुस्तानी संगीत (पर्कसन वादन)	75	25	15 से 20 मिनट प्रति परीक्षार्थी	(क) तीन प्रयोग, प्रत्येक 20 अंक का (आन्तरिक भागों में परीक्षक अंक का विभाजन स्वयं कर लें)। (ख) सत्रीय कार्य (ग) मौखिक	60 अंक 05 अंक 10 अंक
							योगः–75 अंक
8	038	कर्नाटक संगीत (गायन)	75	25	15 से 20 मिनट प्रति परीक्षार्थी	(क) कम्यूनिटी सिंगिंग (ख) राग (ग) ताल (घ) तम्बूरा तथा मृदंगम् (ड) सत्रीय कार्य (च) मौखिक	15 अंक 15 अंक 15 अंक 15 अंक 05 अंक 10 अंक
							योगः–75 अंक
9	039	कर्नाटक संगीत (मैलोडिक वादन)	75	25	15 से 20 मिनट प्रति परीक्षार्थी	1. Ragas 2. Tuning the instrument 3. Musical composition 4. Keertanams and Kritis 5. Sessional Work 6. Viva Voce	15 Marks 15 Marks 15 Marks 15 Marks 05 Marks 10 Marks
							Total :– 75 Marks
10	040	कर्नाटक संगीत (पर्कसन वादन)	75	25	15 से 20 मिनट प्रति परीक्षार्थी	1. To play precisely, the Sollukattus in different degrees of speed 2. Tuning the instrument 3. Ability to play the Thekas and Mohras in Adi tala, Rupaka tala and Chaappu tala 4. To play brief tani-aavartams in simple taalas 5. Sessional Work 6. Viva Voce	15 Marks 15 Marks 15 Marks 15 Marks 05 Marks 10 Marks
							Total :– 75 Marks

क्र0 सं0	विषय कोड	विषय का नाम	अधिकतम अंक	न्यूनतम उत्तीर्णांक	निर्धारित समय	प्रयोगात्मक कार्य	अंक विभाजन
11	044	टंकण (अंग्रेजी या हिन्दी)	75	25	1 घण्टे	1. Running Matter- A speed and accuracy test 2. Tabulation test	30 Marks 45 Marks
							Total :– 75 Marks
12	045	गृह विज्ञान (बालक एवं केवल उन बालिकाओं के लिए जिन्होंने अनिर्वाय विषय के रूप में नहीं लिया है।)	20	7	3 घण्टे	(क) 0–3 वर्ष तक के बच्चों के शारीरिक व क्रियात्मक लक्षणों के सम्बन्ध में प्रेक्षण, 1–3 वर्ष तक के बच्चों में खेलों के क्रिया कलाप, उनका खेलों से लगाव और खेल सामग्री का प्रेक्षण तथा बच्चों के लिए उपयुक्त खेल सामग्री का निर्माण हेतु एक प्रोजेक्ट का निर्माण। (ख) पाक क्रिया व सिलाई के एक–एक कुल दो प्रयोग। (ग) सत्रीय कार्य (घ) मौखिक	06 अंक 03+03=06 अंक 05 अंक 03 अंक
							योगः–20 अंक
13	046	सूचना प्रौद्योगिकी	60	20	4 घण्टे	1. Hand on Experience (2 Exercise) I. MS ACCESS II. HTML 2. IT Application Report File 3. Viva Voce	 08 Marks 22 Marks 20 Marks 10 Marks
							Total 60 Marks
14	050	कृषि	40	13	3 घण्टे	1. पहचान 2. बीज शैय्या निर्माण 3. फल परिरक्षण 4. पशु आहार की गणना 5. सत्रीय कार्य 6. मौखिक	05 अंक 10 अंक 05 अंक 10 अंक 05 अंक 05 अंक
							योगः–40 अंक

गणित विषय में आन्तरिक मूल्यांकन
(Internal Assessment in Mathematics)

कक्षा 10 संस्थागत **कुल निर्धारित अंक – 20**

आन्तरिक मूल्यांकन में 20 अंकों का विभाजन है –

1. **प्रत्येक विद्यार्थी को 2 क्रियाकलाप (Activities) सम्पादित करने हैं। इनके लिए 10 अंक निर्धारित हैं।**
   05X02=10 अंक
2. **प्रत्येक विद्यार्थी को 1 प्रोजेक्ट (Project) करना है। इनके लिए 05 अंक निर्धारित हैं। 05 अंक**
3. **प्रत्येक विद्यार्थी का सतत मूल्यांकन (Continuous Assessment) होना है। इसके लिए विद्यार्थी द्वारा गणित विषय में कक्षा 09 की वार्षिक परीक्षा में प्राप्त अंकों को 10 में परिवर्तित करना है तथा कक्षा 10 में प्रथम यूनिट टेस्ट और द्वितीय यूनिट टेस्ट में प्राप्त अंकों को 10 में परिवर्तित करना है। तत्पश्चात इन तीनों के औसत को 05 अंकों में परिवर्तित किया जाना है। 05 अंक**

उदाहरण →

कक्षा 9 के प्राप्तांक	प्रथम यूनिट टैस्ट	द्वितीय यूनिट टैस्ट	योग	औसत 5 में
40/100=4/10	12/20=6/10	10/20=5/10	=15/30	2.5/5=3/5

4. **कक्षा 10 में अनुत्तीर्ण रहकर पुनः संस्थागत रूप से अध्ययनरत छात्र के कक्षा 10 में प्रथम यूनिट टेस्ट तथा द्वितीय यूनिट टेस्ट में प्राप्त अंकों को 10 में परिवर्तित करना है तत्पश्चात इन दोनों के औसत को 05 अंकों में परिवर्तित किया जाना है।**

कक्षा 10 व्यक्तिगत

आन्तरिक मूल्यांकन में 20 अंकों का विभाजन निम्नवत् है –

1. **प्रत्येक विद्यार्थी को 2 क्रियाकलाप (Activities) सम्पादित करने हैं। इन्हें विद्यार्थी घर से ही तैयार करके लायेगा। इनके लिए 10 अंक निर्धारित हैं। क्रियाकलाप की सूची विद्यार्थी को दी जाय।**
   05X02=10 अंक
2. **प्रत्येक विद्यार्थी को 1 प्रोजेक्ट (Project) करना है। इनके लिए 05 अंक निर्धारित हैं। 05 अंक**
3. **प्रत्येक विद्यार्थी का सतत मूल्यांकन (Continuous Assessment) होना है। इसके लिए विद्यार्थी द्वारा गणित विषय में कक्षा 10 में प्रथम यूनिट टेस्ट और द्वितीय यूनिट टेस्ट में प्राप्त अंकों को 10 में परिवर्तित करना है। तत्पश्चात इन दोनों के औसत को 05 अंकों में परिवर्तित किया जाना है। 05 अंक**

अथवा

यदि व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के यूनिट टेस्ट नहीं लिये जा सके हों तो एक अतिरिक्त प्रोजेक्ट सम्पादित करना होगा जिसके लिए 05 अंक दिये जायेंगे।

सामाजिक विज्ञान विषय में आन्तरिक मूल्यांकन
(Internal Assessment in Social Science)

कक्षा 10 संस्थागत – कुल निर्धारित अंक–20

आन्तरिक मूल्यांकन में 20 अंकों का विभाजन है –

1. असाइनमैंट – सामाजिक विज्ञान विषय के पांचों भागों में एक–एक असाइनमैंट दिया जायेगा। प्रत्येक आसाइनमैंट 05 अंकों का होगा तथा सभी पांच असाइनमैंट का औसत लिया जायेगा। 05 अंक
2. प्रोजेक्ट वर्क–एक प्रोजेक्ट वर्क होगा जो आपदा प्रबंधन विषय से भिन्न विषय पर होगा। 05 अंक
3. टैस्ट – प्रत्येक विद्यार्थी का सतत मूल्यांकन (Continuous Assessment) होना है। इसके लिए विद्यार्थी द्वारा सामाजिक विज्ञान विषय में कक्षा 09 की वार्षिक परीक्षा में प्राप्त अंकों को 10 में परिवर्तित करना है तथा कक्षा 10 में प्रथम यूनिट टैस्ट में प्राप्त अंकों को 10 में परिवर्तित करना है। तत्पश्चात इन तीनों के औसत को 10 के अंकों में परिवर्तित किया जाना है। 10 अंक

   कक्षा 10 में अनुत्तीर्ण रहकर पुनः संस्थागत रूप से अध्ययनरत छात्र के कक्षा 10 में प्रथम यूनिट टैस्ट तथा द्वितीय यूनिट टैस्ट में प्राप्त अंकों को 10 में परिवर्तित करना है।

कक्षा 10 व्यक्तिगत – कुल निर्धारित अंक–20

आन्तरिक मूल्यांकन में 20 अंकों का विभाजन है –

1. असाइनमैंट – सामाजिक विज्ञान विषय के पांचों भागों में एक–एक असाइनमैंट दिया जायेगा। प्रत्येक आसाइनमैंट 05 अंकों का होगा तथा सभी पांच असाइनमैंट का औसत लिया जायेगा।05 अंक
2. प्रोजेक्ट वर्क–एक प्रोजेक्ट वर्क होगा जो आपदा प्रबंधन विषय से भिन्न विषय पर होगा। 05 अंक
3. टैस्ट – प्रत्येक विद्यार्थी का सतत मूल्यांकन (Continuous Assessment) होना है। इसके लिए विद्यार्थी द्वारा कक्षा 10 में प्रथम यूनिट टैस्ट और द्वितीय यूनिट टैस्ट में प्राप्त अंकों को 10 में परिवर्तित करना है। तत्पश्चात इन दोनों के औसत को 10 के अंकों में परिवर्तित किया जाना है। 10 अंक

   अथवा

   यदि यूनिट टेस्ट नहीं लिये जा सके हों तो एक अतिरिक्त प्रोजेक्ट सम्पादित करना होगा जिसके लिए 05 अंक दिये जायेंगे, तथा 05 अतिरिक्त असाइनमैंट दिये जायेंगे जिसके लिए 05 अंक दिये जायेंगे।

इण्टरमीडिएट (कक्षा–12) प्रयोगात्मक विषयों की परीक्षाओं का अंक–विभाजन

क्र0 सं0	विषय कोड	विषय का नाम	अधिकतम अंक	न्यूनतम उत्तीर्णांक	निर्धारित समय	प्रयोगात्मक कार्य	अंक विभाजन
1	111	भूगोल	30	10	3 घण्टे	1. Processing of Data and Thematic Mapping	12 Marks
						2. Surveying (Chain and Tape survey,Plane table survey)	05 Marks
						3. Field study	04 Marks
						4. Practical Record Book	05 Marks
						5. Viva Voce	04 Marks
							Total 30 Marks
2	113	गृह विज्ञान	30	10	3 घण्टे	1. Know Little Children	03 Marks
						2. Nutrition for Self and Family	11 Marks
						3. Money Management and Consumer Education	03 Marks
						4. My Apparel	06 Marks
						5.Record	05 Marks
						6. Viva Voce	02 Marks
							Total 30 Marks
3	114	हिन्दुस्तानी संगीत (गायन)	70	23	20 से 30 मिनट प्रति परीक्षार्थी	1. Tuning of Tanpura and questions regarding Tanpura	05+05= 10 Marks
						2. Choice Raga (Vlilambit and Drut Khayal)	15 Marks
						3. Examiners Choice Talas	10 Marks
						4. One Dhrupad or one Dhamar	10 Marks
						5. Composition in Raga Khamaj	05Marks
						6. Identification of Svaras and Ragas	10 Marks
						7. Identication of Tala played on Tabla	05Marks
						8. Reciting the Theka of a Tala with hand beats	05Marks
							Total 70 Marks
4	115	हिन्दुस्तानी संगीत (मैलोडिक वादन)	70	23	20 से 30 मिनट प्रति परीक्षार्थी	1. Tuning of Instrument and questions regarding instrument	05+05= 10 Marks
						2. Choice Raga (Masti khani Gat and Razakhani)	15 Marks
						3. Razakhani Gat with Toda and Jhala of Examiners choice	05 Marks
						4. To play Svarvistar is a Raga of examiners choice	10 Marks
						5. Meend of Svaras	05 Marks
						6. Composition in Raga khamaj	05 Marks
						7. Identication of the Svaras and Raga	10 Marks
						8. Identification of Tala played on Table	05 Marks
						9. Reciting the Theka of a Tala with hand beats	05 Marks
							Total 70 Marks
5	116	हिन्दुस्तानी संगीत (पर्कसन वादन)	70	23	20 से 30 मिनट प्रति परीक्षार्थी	1. Tuning of Instrument and questions regarding instrument	20 Marks
						2. Choice of Tala	20 Marks
						3. Tala of Examiner's choice	10 Marks
						4. Tala in Dugun, Chaugun with Mukhda and Tihai	10 Marks
						5. Reciting of Tala with hand beats	10 Marks
							Total 70 Marks

क्र0 सं0	विषय कोड	विषय का नाम	अधिकतम अंक	न्यूनतम उत्तीर्णांक	निर्धारित समय	प्रयोगात्मक कार्य	अंक विभाजन
6	117	कर्नाटक संगीत (गायन)	70	23	30 से 45 मिनट प्रति परीक्षार्थी	1. For tuning the Tanpura/drone and question related to it 2. One Ata Tala Varnam in two degrees of speed 3. A kriti as per the choice of the candidate with all Manodhrma asked 4. A kriti with manodharma may be asked as per the choice of the examiners 5. Exposition of one simple Pallavi 6. One post pallavi item 7. Testing the knowledge on Raga Lakshanas 8. Testing the knowledge on Talas 9. Testing the knowledge on Musical forms 10. Testing the Svarajnanam of the candidate	05 Marks 05 Marks 16 Marks 10 Marks 10 Marks 04 Marks 05 Marks 05 Marks 05 Marks 05 Marks **Total 70 Marks**
7	118	कर्नाटक संगीत (मैलोडिक वादन)	70	23	30 से 45 मिनट प्रति परीक्षार्थी	1. Tuning of condidate's instrument and questions related to it 2. One Ata tala varnam in two degrees of speed 3. A kirti as per the choice of the candidate with all Manodharma asked 4. A kirti or two with manodharma asked as per the examiner's choice 5. Expositions of one simple pallavi 6. Questions about unique features of respective instruments 7. Testing the Knowledge of Rage Lakshanas 8. Testing the Knowledge of Talas 9. Testing he Knowledge of Musical forms 10.Details regarding different techniques of play	05 Marks 05 Marks 16 Marks 10 Marks 10 Marks 04 Marks 05 Marks 05 Marks 05Marks 05 Marks **Total 70 Marks**
8	119	कर्नाटक संगीत (पर्कसन वादन)	70	23	30 से 40 मिनट प्रति परीक्षार्थी	1. Tuning of instrument and questions regarding instrument 2. Choice tala 3. Tala of Examiner's choice 4. Reciting the sollukattu with tala 5. Accompanying vocal music and Instrumental Music in general 6. Accompanying Trikalam and other pallavi techniques, and Tillanas 7. Questions regarding laya and tala	**10 Marks** **15 Marks** **10 Marks** **10 Marks** **10 Marks** **10 Marks** **05 Marks** **Total 70 Marks**
9	120	ड्राइंग एवं पेंटिग	70	23	6 घण्टे	1. Nature and Object Study 2. Painting Composition 3. Sessional Work	25 Marks 25 Marks 20 Marks **Total 70 Marks**
10	122	मनोविज्ञान	30	10	3 घण्टे	1. Reporting file including case profile 2. Two practicals (10 Marks each) (05 for Accurate conduct and 05 for reporting) 3. Viva Voce	05 Marks 20 Marks 05 Marks **Total 30 Marks**

क्र0 सं0	विषय कोड	विषय का नाम	अधिकतम अंक	न्यूनतम उत्तीर्णांक	निर्धारित समय	प्रयोगात्मक कार्य	अंक विभाजन
11	123	समाज शास्त्र	20	7	3 घण्टे	1. परियोजना कार्य– (क) कार्य विवरण (ख) कार्यविधि एवं तकनीक (ग) निष्कर्ष 2. मौखिक 3. शोध प्ररचना– (क) संपूर्ण प्रारूप (ख) शोध प्रश्न एवं उपकल्पना (ग) शोध प्रविधियों का चुनाव (घ) शोध प्रविधियों का प्रस्तुतिकरण (ड) उपयुक्त प्रविधियों की सीमायें	07 अंक 02 अंक 02 अंक 03 अंक 05 अंक 08 अंक 01 01 02 02 02
							Total 20 Marks
12	126	सैन्य विज्ञान	30	10	3 घण्टे	1. लिखित (i) ग्रिड पद्धति (ii) दिशायें ज्ञात करने की विधियां (iii) दिकमानः परिभाषा एवं प्रकार (iv) दिकमान का परस्पर परिवर्तन (v) सैन्य अधिकारियों में पदचिन्ह (vi) सर्विस प्रोटेक्टर 2. रिकार्ड फाईल 3. मौखिक	 02 अंक 04 अंक 04 अंक 04 अंक 02 अंक 04 अंक 05 अंक 05 अंक
							Total 30 Marks
13	127	भूगर्भ विज्ञान	30	10	3 घण्टे	1.दिये गये खनिज का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करना 2. मानचित्र 3. मॉडल–क्यूब, जिरकॉन, टेट्रा हेड्रान 4. स्पॉटिंग– 3 Fossils : Murex, Pectin, Area 3 Minerals : Talc, Calcite, Quartz 3. Rocks: Granite, Marble, Sand Stone 5. सत्रीय कार्य 6. मौखिक	05 अंक 03 अंक 03 अंक 09 अंक 05 अंक 05 अंक
							Total 30 Marks
14	129	भौतिक विज्ञान	30	10	4 घण्टे	1. One experiment from any one section 2. Two activities (one from each section) 3. Practical record (experiments and activities) 4. Record of demonstration experiments and Viva based on these experiments 5. Viva based on experiments and activities	08 Marks 4+4=08 Marks 06 Marks 03 Marks 05 Marks
							Total 30 Marks
15	130	रसायन विज्ञान	30	10	4 घण्टे	1. Volumetric Analysis 2. Salt Analysis 3. Content Based Experiment 4. Investigatory Project 5. Class record and Viva	10 Marks 06 Marks 04 Marks 05 Marks 05 Marks
							Total 30 Marks
15	131	जीव विज्ञान	30	10	4 घण्टे	1. Two experiments 2. Slide preparation 3. Spotting 4. Investigatory project and Viva based on the project 5. Record and Viva based on the experiment	4+4= 08 Marks 05 Marks 07 Marks 05 Marks 05 Marks
							Total 30 Marks

क्र0 सं0	विषय कोड	विषय का नाम	अधिकतम अंक	न्यूनतम उत्तीर्णांक	निर्धारित समय	प्रयोगात्मक कार्य	अंक विभाजन
17	132	एकाउण्टेन्सी	20	7	3 घण्टे	1. Project File 2. Written Test 3. Viva Voce	04 Marks 12 Marks 04 Marks
							Total 20 Marks
18	134	कृषि शस्य विज्ञान (प्रथम प्रश्न पत्र)	50	17	3 घण्टे	1 बीज शैय्या का निमार्ण 2 बीज, खाद, खरपतवार,यंत्र, फसलों की पहचान 3 आंकिक प्रश्नों द्वारा खाद, परिकलन एवं आय–व्यय परिकलन 4 मौखिक परीक्षा 5 सत्रीय कार्य	10 अंक 10 अंक 14 अंक 08 अंक 08 अंक
							योगः– 50 अंक
19	135	कृषि वनस्पति विज्ञान	50	17	3 घण्टे	1. जड़ या तने की अनुप्रस्थ काट काटना 2. पुष्प एवं पौधे की पहचान 3. पादप शरीर क्रिया का परीक्षण 4. स्पॉट पहचान (10 स्पॉट) 5. सत्रीय कार्य 6. मौखिक परीक्षा	10 अंक 10 अंक 04 अंक 10 अंक 08 अंक 08 अंक
							योगः– 50 अंक
20	136	कृषि भौतिकी एवं जलवायु विज्ञान	50	17	3 घण्टे	1. एक प्रमुख प्रयोग 2. एक सहायक प्रयोग 3. सत्रीय कार्य 4. मौखिक परीक्षा	20 अंक 20 अंक 05 अंक 05 अंक
							योगः– 50 अंक
21	137	कृषि अभियंत्रण	50	17	4 घण्टे	1. कार्यशाला का अभ्यास 2. यंत्रों का समायोजन 3. वस्तु पहचान 4. अभियन्ता परिकलन (H P व एरिया परिकलन) 5. सत्रीय कार्य 6. मौखिक परीक्षा	04 अंक 08 अंक 08 अंक 14 अंक 08 अंक 08 अंक
							योगः– 50 अंक
22	139	कृषि शस्य विज्ञान (षष्टम प्रश्न पत्र)	50	17	3 घण्टे	1. बीज शैय्या तैयार करना 2. बीज, उर्वरक, खरपतवार,यंत्र एवं पौधों की पहचान 3. खाद व सिंचाई से सम्बन्धित गणना 4 सत्रीय कार्य मौखिक परीक्षा	10 अंक 10 अंक 14 अंक 08 अंक 08 अंक
							योगः– 50 अंक
23	141	कृषि जन्तु विज्ञान	50	17	3 घण्टे	· प्रोजेक्ट कार्य 5. स्पॉट पहचान (10 स्पॉट) 3. प्राणी शरीर क्रिया विज्ञान 4. स्लाइड बनाना 8. सत्रीय कार्य 6. मौखिक परीक्षा	10 अंक 10 अंक 06 अंक 08 अंक 08 अंक 08 अंक
							योगः– 50 अंक

क्र0 सं0	विषय कोड	विषय का नाम	अधिकतम अंक	न्यूनतम उत्तीर्णांक	निर्धारित समय	प्रयोगात्मक कार्य	अंक विभाजन
24	142	कृषि पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विज्ञान	50	17	3 घण्टे	1. पशुओं के वाह्य अंगो की पहचान 2. संतुलित आहर परिकलन (क) गाय/औसर के लिए (ख) भैस/बैल/बकरी के लिए 3 पशु प्रबन्ध/पशु चिकित्सा (क) नाड़ी, श्वसन, तापक्रम ज्ञात करना (ख) पशु नियंत्रण तथा उसे गिराना 4 स्पॉट पहचान खाद्य पदार्थ, औषधि, चारों व पशु चिकित्सा सम्बन्धी यंत्र 5. सत्रीय कार्य 6. मौखिक परीक्षा	10 अंक 05 अंक 05 अंक 05 अंक 05 अंक 10 अंक 05 अंक 05 अंक
							योगः– 50 अंक
25	143	कृषि रसायन विज्ञान	50	17	4 घण्टे	1. अकार्बनिक मिश्रण का विश्लेषण 2. कार्बनिक यौगिकों की पहचान 3. आयतनी विश्लेषण 4. रसायनों का अपचयन व उपचयन 5. सत्रीय कार्य 6. मौखिक परीक्षा	10 अंक 05 अंक 10 अंक 10 अंक 07 अंक 08 अंक
							योगः– 50 अंक
26	144	कम्प्यूटर विज्ञान	30	10	3 घण्टे	1. Programming in C ++ 2. SQL Commands 3. Project Work 4. Practical File 5. Viva Voce	10 Marks 05 Marks 05 Marks 05 Marks 05 marks
							Total 30 Marks

नवीन विषय संयोजन कक्षा 10

शासनादेश संख्या 187 / XXIV–5 / 2014 देहरादून दिनांक 22 जुलाई, 2014 के द्वारा इण्टरमीडिएट एवं हाईस्कूल में नवीन पाठ्यक्रम में नवीन विषय सम्मिलित किये गये हैं। नवीन विषय संयोजन के अनुसार हाईस्कूल परीक्षा में विषय संयोजन निम्नवत् है :–

हाईस्कूल

क्र.सं.	विषय कोड	विषय	क्र.सं.	विषय कोड	विषय
01	001	हिन्दी	18	041	रंजन कला
02	004	उर्दू	19	042	व्यापारिक तत्व
03	005	पंजाबी	**20**	**043**	**बहीखाता एवं लेखाशास्त्र**
04	006	बंगाली	**21**	**044**	**टंकण**
05	021	अंग्रेजी	**22**	**045**	**गृह विज्ञान (केवल बालकों के लिए तथा उन बालिकाओं के लिए जिन्होंने इसे अनिवार्य विषय के रूप में नहीं लिया है)**
06	025	नेपाली			
07	028	संस्कृत			
08	031	गणित	**23**	**046**	**सूचना प्रौद्योगिकी**
09	032	गृह विज्ञान	**24**	**050**	**कृषि**
10	033	विज्ञान	25	052	आईटीईएस
11	034	सामाजिक विज्ञान	26	053	ऑटोमोबाइल
			27	054	रिटेल
12	035	हिन्दुस्तानी संगीत (गायन)	28	055	पेशेंट केयर
			29	056	सिक्यूरिटी
13	036	हिन्दुस्तानी संगीत (मेलोडिक वादन)	30	057	टूरिज्म
14	037	हिन्दुस्तानी संगीत (पर्कसन वादन)			**<u>विद्यालय स्तर पर ग्रेडिंग के विषय</u>**
15	038	कर्नाटक संगीत (गायन)	**25**	**047**	**कार्यानुभव एवं उद्यमिता विकास**
16	039	कर्नाटक संगीत (मेलोडिक वादन)	**26**	**048**	**कला शिक्षा**
17	040	कर्नाटक संगीत (पर्कसन वादन)	**27**	**049**	**योग, आयुर्वेद एवं स्वास्थ्य शिक्षा**

हाईस्कूल– नवीन व्यवस्था

नवीन व्यवस्था के अन्तर्गत अतिरिक्त विषय के रूप में पूर्व में प्रचलित सात विषयों क्रमश वाणिज्य, पेन्टिंग, संगीत, गृह विज्ञान, सूचना एवम् प्रौद्योगिकी, कृषि के साथ एक नवीन विषय व्यावसायिक शिक्षा जोड़ा गया हैं। व्यावसायिक शिक्षा के अन्तर्गत निम्न में से कोई एक विषय लिया जा सकता है ।

(1) आई0टी0ई0एस0 (2) ऑटोमोबाइल (3) रिटेल
(4) पेशेन्ट केयर (5) सिक्योरिटी (6) टूरिज्म

अति महत्वपूर्ण

अतिरिक्त विषय के अंकों को डिवीजन प्रदान करने हेतु जोड़ा नहीं जायेगा। अतिरिक्त विषय में उत्तीर्ण होने हेतु कृपांक भी देय नहीं होगा। केवल अतिरिक्त विषय की भाषा का द्वितीय भाषा के रूप में स्थानान्तरण होने की स्थिति में इस अतिरिक्त भाषा को जिसने अब द्वितीय भाषा का स्थान ग्रहण कर लिया है, नियमानुसार कृपांक देय होगा। इसी प्रकार व्यावसायिक शिक्षा का सामाजिक विज्ञान के स्थान पर स्थानान्तरण की स्थिति में, जिसने अब सामाजिक विज्ञान का स्थान ग्रहण कर लिया है, नियमानुसार कृपांक देय होगा, किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि परीक्षार्थी द्वारा व्यावसायिक शिक्षा विषय के तीनों भागों में कुल 25 प्रतिशत अंक अर्जित किये हों, साथ ही वह तीनों भागों की परीक्षा में सम्मिलित हुआ हो।

नवीन विषय संयोजन कक्षा 12

शासनादेश संख्या 187 / XXIV–5 / 2014 देहरादून दिनांक 22 जुलाई, 2014 के द्वारा इण्टरमीडिएट एवं हाईस्कूल में नवीन पाठ्यक्रम में नवीन विषय सम्मिलित किये गये हैं। नवीन विषय संयोजन के अनुसार हाईस्कूल परीक्षा में विषय संयोजन निम्नवत् है :–

इण्टरमीडिएट

नोट – कृषि वर्ग को छोड़कर शेष अन्य वर्गों में विषय संयोजन 1+3+1 के अनुरूप होगा। प्रथम विषय के रूप में हिन्दी अथवा अंग्रेजी भाषा का विकल्प होगा। शेष तीन विषय उसी वर्ग के लिये जायेंगे जिस वर्ग का चयन अभ्यर्थी करेगा। पाँचवे विषय का चयन अभ्यर्थी कृषि वर्ग को छोड़कर किसी अन्य वर्ग से एक विषय अथवा उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् द्वारा भाषाओं हेतु विहित पाठ्यक्रम में से कोई एक विषय अथवा अपने वर्ग से कोई एक विषय में से करेगा। कृषि वर्ग के परीक्षार्थी केवल कृषि वर्ग के ही विषयों का चयन करेंगे। वर्गवार विषय तथा उनके कोड निम्नवत् हैं :–

प्रथम अनिवार्य विषय

विषय कोड	विषय
101 / 103	हिन्दी / अंग्रेजी
102	हिन्दी (केवल कृषि वर्ग के लिए)

भाषा – पंचम विषय हेतु

विषय कोड	विषय
103	अंग्रेजी
105	संस्कृत
106	उर्दू
107	पंजाबी
108	बंगाली
109	नेपाली

मानविकी वर्ग

विषय कोड	विषय
110	इतिहास
111	भूगोल
112	अर्थशास्त्र
113	गृह विज्ञान
114	हिन्दुस्तानी संगीत (गायन)
115	हिन्दुस्तानी संगीत (मेलोडिक वादन)
116	हिन्दुस्तानी संगीत (पर्कसन वादन)
117	कर्नाटक संगीत (गायन)
118	कर्नाटक संगीत (मेलोडिक वादन)

विषय कोड	विषय
119	कर्नाटक संगीत (पर्कसन वादन)
120	ड्राइंग एवं पेंटिंग
121	राजनीति विज्ञान
122	मनोविज्ञान
123	समाजशास्त्र
124	शिक्षाशास्त्र
125	तर्कशास्त्र
126	सैन्य विज्ञान
127	भूगर्भ विज्ञान
128	गणित
144	कम्प्यूटर
145	आईटीईएस
146	ऑटोमोबाइल
147	रिटेल
148	पेशेंट केयर
149	सिक्यूरिटी
150	टूरिज्म

विज्ञान वर्ग

128	गणित
129	भौतिक विज्ञान
130	रसायन विज्ञान
131	जीव विज्ञान
144	कम्प्यूटर

वाणिज्य वर्ग

विषय कोड	विषय
112	अर्थशास्त्र
128	गणित
132	एकाउण्टेन्सी
133	बिजनेस स्टडीज
144	कम्प्यूटर

कृषि वर्ग भाग–1

विषय कोड	विषय
134	कृषि शस्य विज्ञान
135	कृषि वनस्पति विज्ञान
136	कृषि भौतिकी एवं जलवायु विज्ञान
137	कृषि अभियंत्रण
138	कृषि गणित एवं प्रारम्भिक सांख्यिकी

कृषि वर्ग भाग–2

विषय कोड	विषय
139	कृषि शस्य विज्ञान
140	कृषि अर्थशास्त्र
141	कृषि जन्तु विज्ञान
142	कृषि पशुपालन एव पशु चिकित्सा विज्ञान
143	कृषि रसायन विज्ञान

नोट– 1. (अ) भूगोल तथा भूगर्भ विज्ञान में से अभ्यर्थी केवल एक विषय का चयन कर सकेंगे।
(ब) मनोविज्ञान, शिक्षाशास्त्र तथा तर्कशास्त्र में से अभ्यर्थी केवल एक विषय का चयन कर सकेंगे।
(स) संगीत के विषय कोड 114 से 119 तक में से अभ्यर्थी केवल एक विषय का चयन कर सकेंगे।

2. इण्टरमीडिएट परीक्षा में दो से अधिक भाषाएं उपहृत नहीं की जा सकती है। वही भाषाएं उपहृत की जायेंगी जिनका विद्यालय में पूर्व से ही अध्यापन हो रहा है।
3. वाणिज्य वर्ग वाले अभ्यर्थियों को विषय कोड संख्या 132 तथा 133 उपहृत करना अनिवार्य है।
4. कृषि वर्ग में हिन्दी (कोड–102) भाषा लेना अनिवार्य होगा। भाषा विषय की परीक्षा द्विवर्षीय पाठ्यक्रम के आधार पर भाग–2 की परीक्षा के साथ ली जायेगी।

परिषद् से अभिलेखों की प्राप्ति

परिषद् द्वारा सामान्यतया निम्न अभिलेख विद्यार्थियों हेतु निर्गत किये जाते हैं :–

1. मूल अंक पत्र
2. मूल प्रमाण पत्र
3. मूल प्रमाणपत्र–सह–अंकपत्र
4. द्वितीय अंकपत्र
5. द्वितीय प्रमाणपत्र
6. द्वितीय प्रमाणपत्र–सह–अंकपत्र
7. प्रव्रजन प्रमाणपत्र
8. अभिलेखों में संशोधन
9. प्रमाणपत्रों का सत्यापन
10. अस्वामिक प्रमाणपत्र
11. सन्निरीक्षा
12. उत्तरपुस्तिका की छाया प्रति

1. मूल अंक पत्र (Marksheet)

परिषद् द्वारा हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट परीक्षा में उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों को मूल अंक पत्र उपलब्ध कराया जाता है।

2. मूल प्रमाणपत्र (Certicicate)

परिषद् द्वारा हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट परीक्षा में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों को मूल प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाता है।

3. मूल प्रमाण पत्र–सह–अंकपत्र (Certicicate Cum Marksheet)

परिषद् द्वारा वर्ष 2015 से हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट परीक्षा में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों को प्रमाण पत्र–सह–अंकपत्र उपलब्ध कराने की व्यवस्था प्रारम्भ की गई है। अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों को प्रमाण पत्र–सह–अंकपत्र के स्थान पर केवल अंक तालिका ही उपलब्ध करायी जाती है।

4. द्वितीय अंकपत्र (Duplicate Marksheet)

(A) जारी किये जाने की स्थितियां –

1– खो जाने की दशा में।
2– नष्ट हो जाने की दशा में।
3– खराब हो जाने की दशा में।
4– विरूपित हो जाने की दशा में।
5– कट फट जाने की की दशा में।
6– प्रविष्टियां धूमिल हो जाने की दशा में।
7– अस्वामिक होने पर नष्ट कर दिये जाने की दशा में

नोट– बिन्दु 3,4,5 तथा 6 की स्थिति में मूल अंकपत्र/प्रमाणपत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।

(B) प्रस्तुत किये जाने वाले अभिलेख –

1. अभ्यर्थी का प्रार्थना पत्र।
2. धनराशि जमा रुपया 50=00 (रुपया पचास) मात्र का चालान निम्न लेखाशीर्षक में मूलरूप मे संलग्न हो।

चालान का लेखाशीर्षक –

0202 – शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति
01 – सामान्य शिक्षा
102 – माध्यमिक शिक्षा
02 – बोर्ड परीक्षा का शुल्क

5. द्वितीय प्रमाणपत्र (Duplicate Certificate)

(A) जारी किये जाने की स्थितियां –

1– खो जाने की दशा में।

2– नष्ट हो जाने की दशा में।

3– खराब हो जाने की दशा में।

4– विरूपित हो जाने की दशा में।

5– कट फट जाने की की दशा में।

6– प्रविष्टियां धूमिल हो जाने की दशा में।

7– अस्वामिक होने पर नष्ट कर दिये जाने की दशा में

नोट– बिन्दु 3,4,5 तथा 6 की स्थिति में मूल अंकपत्र/प्रमाणपत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।

(B) प्रस्तुत किये जाने वाले अभिलेख –

1. निर्धारित आवेदन पत्र प्रधानाचार्य द्वारा अग्रसारित हो।

2. धनराशि जमा रुपया 100=00 (रुपया एक सौ) मात्र का चालान निम्न लेखाशीर्षक में मूलरूप मे संलग्न हो –

3. शपथ पत्र रुपया 10=00 (रुपया दस) मात्र के निर्धारित प्रारूप में स्टाम्प पेपर पर। (अभ्यर्थी की आयु 20 वर्ष से कम होने पर उनके पिता/अभिभावक की ओर से बनवाया जायेगा।) (प्रारूप संलग्न है।)

4. प्रमाण पत्र खो जाने सम्बन्धी विज्ञप्ति, समाचार पत्र में मूल रूप में पूरे पृष्ठ सहित संलग्न हो। (समाचार पत्र की कटिंग/साप्ताहिक समाचार पत्र/स्थानीय समाचार पत्र/सांध्य समाचार पत्र में में प्रकाशित सूचना मान्य नहीं होगी।

प्रमाण पत्र खोने की सूचना किसी वृहद रूप से प्रसारित दैनिक समाचार पत्र के प्रातः संस्करण में विज्ञापित कराकर उसकी एक पूरी प्रति संलग्न करें।

चालान का लेखाशीर्षक –

0202 – शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति

01 – सामान्य शिक्षा

102 – माध्यमिक शिक्षा

02 – बोर्ड परीक्षा का शुल्क

6. द्वितीय प्रमाणपत्र–सह–अंकपत्र (Duplicate Certificate Cum Marksheet)

वर्ष 2015 से प्रमाण पत्र–सह–अंक पत्र की व्यवस्था प्रारम्भ की गई है।

(A) जारी किये जाने की स्थितियां –

1– खो जाने की दशा में।

2– नष्ट हो जाने की दशा में।

3– खराब हो जाने की दशा में।

4– विरूपित हो जाने की दशा में।

5– कट फट जाने की की दशा में।

6– प्रविष्टियां धूमिल हो जाने की दशा में।

7– अस्वामिक होने पर नष्ट कर दिये जाने की दशा में

नोट– बिन्दु 3,4,5 तथा 6 की स्थिति में मूल अंकपत्र/प्रमाणपत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।

(B) प्रस्तुत किये जाने वाले अभिलेख –

1. निर्धारित आवेदन पत्र प्रधानाचार्य द्वारा अग्रसारित हो।

2. धनराशि जमा रुपया 150=00 (रुपया एक सौ पचास) मात्र का चालान निम्न लेखाशीर्षक में मूलरूप मे संलग्न हो –

3. शपथ पत्र रुपया 10=00 (रुपया दस) मात्र के निर्धारित प्रारूप में स्टाम्प पेपर पर। (अभ्यर्थी की आयु 20 वर्ष से कम होने पर उनके पिता/अभिभावक की ओर से बनवाया जायेगा।) (प्रारूप संलग्न है।)

4. प्रमाण पत्र खो जाने सम्बन्धी विज्ञप्ति, समाचार पत्र में मूल रूप में पूरे पृष्ठ सहित संलग्न हो। (समाचार पत्रकी कटिंग/साप्ताहिक समाचार पत्र/स्थानीय समाचार पत्र/सांध्य समाचार पत्र में में प्रकाशित सूचना मान्य नहीं होगी।

प्रमाण पत्र खोने की सूचना किसी वृहद रूप से प्रसारित दैनिक समाचार पत्र के प्रातः संस्करण में विज्ञापित कराकर उसकी एक पूरी प्रति संलग्न करें।

चालान का लेखाशीर्षक –

0202 – शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति

01 – सामान्य शिक्षा

102 – माध्यमिक शिक्षा

02 – बोर्ड परीक्षा का शुल्क

विषय संख्या _____

प्रमाण–पत्र की द्वितीय प्रतिलिपि प्राप्त करने का आवेदन–पत्र

सेवा में,

सचिव,
उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्,
रामनगर (नैनीताल)।

द्वारा–प्रधानाचार्य / प्रधानाचार्या

_____

_____

महोदय,

निवेदन है कि मुझे मेरे हाई स्कूल / इण्टरमीडिएट मुख्य परीक्षा 201 _____ के प्रमाण–पत्र की द्वितीय प्रतिलिपि प्रदान करने की कृपा करें। पूर्ण विवरण निम्नलिखित है :–

इस समय मैं _____ में निवास कर रहा हूँ :–

1. पूरा नाम (हिन्दी में) _____ (अंग्रेजी में) _____
2. पिता का नाम (हिन्दी में) _____ (अंग्रेजी में) _____
3. अनुक्रमांक _____ 4. परीक्षा का नाम _____
5. उत्तीर्ण होने का वर्ष _____ 6. जन्म–तिथि _____
7. संस्थागत / व्यक्तिगत _____ 8. पिता जीवित है अथवा नहीं _____

2. नियमानुसार वांछित निम्नलिखित कागजात संलग्न हैं :–

(1) रु0 10/– का शपथ–पत्र जो "प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट / नोटरी" जिला _____ द्वारा प्रमाणित है।

(1) दैनिक समाचार–पत्र का नाम _____

(2) समाचार–पत्र की एक प्रति (2) सूचना प्रकाशित करने की तिथि _____

(3) जिला _____ प्रदेश _____

3. ट्रेजरी चालान सं0 _____ दिनांक _____ रु0 _____ जमा करने का स्थान _____

4. छात्र का हस्ताक्षर _____
पूरा पता _____

दिनांक _____

5. पिता अथवा पिता के जीवित न होने पर संरक्षक का हस्ताक्षर _____
पूरा पता _____

दिनांक _____

(प्रधानाचार्य / प्रधानाचार्या के लिए)

पृष्ठांकन संख्या _____ दिनांक _____

सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्, रामनगर, नैनीताल को अग्रसारित। मैं संतुष्ट हूँ तथा प्रमाणित करता हूँ कि आवेदक वही व्यक्ति है, जिसको मौलिक प्रमाण–पत्र _____ परीक्षा सन् 201 दिया गया था।

प्रधानाचार्य का हस्ताक्षर _____

दिनांक _____ कालेज की मुहर _____

सेवायोजक के लिए

पृष्ठांकन संख्या ..... दिनांक .....

सचिव उ0 वि0 शि0 प0 रामनगर, नैनीताल को इस आशय से अग्रसारित है कि मैं उपर्युक्त विवरण से संतुष्ट हूँ तथा प्रमाणित करता हूँ कि मेरे कार्यालय अभिलेखों एवं सेवा पुस्तिकाओं में श्री ..... आत्मज श्री .... की जन्मतिथि (शब्दों में) ..... (अंकों में) ..... है। सेवा–पुस्तिका के जन्म–तिथि अंकित पृष्ठ की प्रमाणित फोटो स्टेट कापी संलग्न है। श्री ..... हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट परीक्षा वर्ष ..... अनुक्रमांक ..... के प्रमाण पत्रकी द्वितीय प्रतिलिपि देने हेतु संस्तुति करता हूँ।

सेवायोजक के हस्ताक्षर
(सील)

शपथ पत्र का प्रारूप

मैं (पूरा नाम)..... आत्मज/आत्मजा (पूरा नाम) ..... शपथपूर्वक बयान करता/करती हूँ कि मेरा ..... मुख्य/पूरक ..... परीक्षा सन् 201 अनुक्रमांक ..... का प्रमाण पत्र वास्तव में खो गया है और मेरी यह घोषणा सत्य है। इसे मैंने किसी को नहीं दिया है और न कहीं जमा किया है।

मैंने ..... परीक्षा संस्थागत/व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में विद्यालय/केन्द्र ..... से उत्तीर्ण की है।

मैं भारत का नागरिक हूँ और मेरी आयु 20 वर्ष से अधिक है।

यदि मेरा मौलिक प्रमाण पत्र मिल जायेगा तो द्वितीय प्रतिलिपि परिषद् को लौटा दूंगा/दूंगी।

मैं सरकारी/अर्द्धसरकारी/प्राइवेट संस्था में सेवारत हूँ/सेवानिवृत्त हो चुका हूँ/नहीं हूँ। अपना आवेदन पत्र समस्त वांछित संलग्नकों सहित अपने सेवायोजक से जन्मतिथि संबंधी प्रमाणपत्र प्राप्त करके सेवापुस्तिका के जन्मतिथि संबंधी प्रमाणपत्र प्राप्त करके सेवापुस्तिका के जन्मतिथि अंकित पृष्ठ की प्रमाणित फोटोस्टेट कापी संलग्न करके सेवायोजक के माध्यम से उनकी आख्या व संस्तुति सहित प्रेषित कर रहा हूँ।

परीक्षार्थी/परीक्षार्थिनी का हस्ताक्षर
पद व पूरा पता .....
.....

मैं प्रमाणित करता हूँ कि यह वही व्यक्ति है, जिन्हें मौलिक प्रमाणपत्र दिया गया था।

किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति का हस्ताक्षर
पद व पूरा पता .....
.....

विधिवत प्रमाणित की मुहर
प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट अथवा नोटरी का हस्ताक्षर
ऑफिस सील

7. प्रव्रजन प्रमाण पत्र (Migration Certificate)

इण्टरमीडिएट परीक्षा में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों को वर्तमान में प्रमापत्र–सह–अंकपत्र के साथ–साथ प्रव्रजन प्रमाण पत्र भी उपलब्ध कराया जाता है तथापि प्रव्रजन प्रमाणपत्र बनवाने हेतु निम्न कार्यवाही की जानी आवश्यक है :–

1 – अभ्यर्थी का प्रार्थना पत्र।

2 – धनराशि जमा रुपया 50=00 (रुपया पचास) मात्र का चालान निम्न लेखाशीर्षक में मूलरूप मे संलग्न हो।

लेखाशीर्षक –

0202 – शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति

01 – सामान्य शिक्षा

102 – माध्यमिक शिक्षा

02 – बोर्ड परीक्षा का शुल्क

8. अभिलेखों में संशोधन

(A) संशोधन हेतु आवेदन करने की अवधि

- परीक्षार्थी को अंकपत्र अथवा प्रमाणपत्र प्रदान कराने से पूर्व उनकी प्रविष्टियों की प्रधानाचार्य अपने स्तर से जांच कर लें कि सभी प्रविष्टियाँ सही हैं। यदि कोई त्रुटि दृष्टिगत होती है तो उसे तत्काल आवष्यक अभिलेखों के साथ परिषद् कार्यालय को पंजीकृत डाक अथवा वाहक के द्वारा प्रेषित करें।
- परीक्षार्थी को अंक पत्र प्रदान करने के उपरान्त त्रुटि दृष्टिगत होती है तो अंकपत्र अथवा प्रमाण प्त्र प्रदान किये जाने के दो वर्ष के अंतर्गत संशोधन हेतु अवश्य प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
- दो वर्ष के उपरान्त यदि संशोधन हेतु अंकपत्र अथवा प्रमाण पत्र भेजे जाने पर प्रधानाचार्य द्वारा विलम्ब का कारण स्पष्ट करते हुए आख्या प्रस्तुत करनी होगी।
- 03 वर्ष की अवधि के पश्चात संशोधन कराने पर रुपया 100 का चालान लगाना होगा। वर्तमान वर्ष के संशोधन हेतु चालान लगाने की आवश्यकता नहीं है।

(B) वांछित अभिलेख

1. हाईस्कूल परीक्षा के अंक पत्र/प्रमाण पत्रों में त्रुटियों के संशोधन हेतु निम्नांकित अभिलेख वांछित है –

छात्र/छात्रा की माता/पिता का नाम संशोधन हेतु –

क – संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य का पत्र।

ख – शुद्धि पत्र (परिशिष्ट–ख)

ग – कक्षा – 5 की टी सी खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो।

घ – कक्षा – 10 की टी सी मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो।

ड़ – नाम संशोधन की दशा में रुपया 100/– का चालान द्वारा जमाकर एक प्रति मूल रूप में संलग्न किया जाय।

च – संबंधित वर्ष की हस्तलिखित नामावली/डाटा सीट/आई.सी.आर. आवेदन पत्र की सत्यापित छाया प्रति।

छ – त्रुटि किस स्तर पर हुई है, तत्सम्बन्धी स्पष्टीकरण (प्रधानाचार्य द्वारा)

ज – यदि प्रकरण 03 वर्ष से पुराना हो तो विलम्ब से प्रकरण संशोधन हेतु प्रेषित किये जाने का औचित्य (प्रधानाचार्य द्वारा)

झ – कक्षा – 9 का पंजीकरण कार्ड की प्रमाणित छायाप्रति।

ञ – मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा परीक्षार्थी के नाम/माता/पिता में संशोधन हेतु संस्तुति प्रमाण पत्र

कार्यालय मुख्य शिक्षा अधिकारी

मैंने हाईस्कूल परीक्षा वर्ष ..... अनुक्रमांक ..... के परीक्षार्थी श्री/श्रीमती/कुमारी ..... आत्मज/आत्मजा श्री ..... की अंतिम/संस्था जहाँ से उसने हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण की है, के मूल प्रवेश आवेदन पत्र उसी विद्यालय की मूल छात्र पंजिका तथा उस संस्था में प्रस्तुत पूर्व वाली छात्र पंजिका की व्यक्तिगत रूप से जांच कर ली है। परीक्षार्थी के सम्बन्धित मूल अभिलेखों में किसी भी प्रकार की कटिंग अथवा ओवर राइटिंग नहीं है विद्यालय के मूल अभिलेखों के अनुसार मैं उसके नाम/पिता/माता का नाम (अंग्रेजी के शब्दों में) .... से ..... संशोधित करने की संस्तुति करता हूँ

मुख्य शिक्षा अधिकारी
हस्ताक्षर तिथि सहित
मुहर नाम सहित

(C) जन्मतिथि संशोधन

क – संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य का पत्र।

ख – शुद्धि पत्र (परिशिष्ट–ख)

ग – कक्षा–5/कक्षा–10 की टी सी मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो।

ड़ – संबन्धित वर्ष की हस्तलिखित नामावली/डाटासीट/आई.सी.आर. आवेदन पत्र की सत्यापित छाया प्रति।

च – मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा जन्मतिथि संस्तुति प्रमाण पत्र (जन्मतिथि के सम्बन्ध में)

छ – त्रुटि किस स्तर पर हुई है, तत्सम्बन्धी स्पष्टीकरण (प्रधानाचार्य द्वारा)

ज – यदि प्रकरण 02 वर्ष से पुराना हो तो विलम्ब से प्रकरण संशोधन हेतु प्रेषित किये जाने का औचित्य (प्रधानाचार्य द्वारा)

झ – कक्षा – 9 का पंजीकरण कार्ड की प्रमाणित छायाप्रति।

कार्यालय मुख्य शिक्षा अधिकारी
जन्मतिथि संशोधन करने हेतु आख्या एवं संस्तुति प्रदान करने का प्रपत्र

मैंने हाईस्कूल परीक्षा वर्ष ..... अनुक्रमांक के परीक्षार्थी श्री/श्रीमती/कुमारी .... आत्मज/आत्मजा श्री ..... की अंतिम/संस्था जहां से उसने हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण की है के मूल प्रवेश आवेदन–पत्र उसी विद्यालय की मूल छात्र पंजिका तथा उस अंतिम संस्था में प्रस्तुत उसके पूर्व वाली संस्था की छात्र पंजिका की व्यक्तिगत रूप से जांच कर ली है। परीक्षार्थी के सम्बन्धित मूल अभिलेखों में किसी प्रकार की कटिंग अथवा ओवर राइटिंग नहीं है। विद्यालय के मूल अभिलेखों के अनुसार उसकी शुद्ध जन्म–तिथि ..... से ..... संशोधित करने की संस्तुति करता हूँ।

मुख्य शिक्षा अधिकारी
तिथि
मुहर

(D) फोटो संशोधन

यदि किसी छात्र/छात्रा को फोटो प्रमाणपत्र मे नहीं छपा है अथवा गलत फोटो छपा है तो परीक्षार्थी द्वारा प्रधानाचार्य के माध्यम से आवेदन करना होगा जिसमें प्रधानाचार्य द्वारा प्रमाणित एक फोटो चस्पा करेगा तथा प्रमाणित फोटो की दूसरी अप्रमाणित फोटो प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जायेगी। फोटो के पृष्ठ भाग में परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अवश्य लिखें।

(E) नाम परिवर्तन/संशोधन

- **विशेष परिस्थितियों में परिषद् परीक्षार्थी द्वारा विनियम की धारा 17 (8) में निर्धारित शुल्क रुपया 100=00 देने पर प्रमाणपत्र में परीक्षार्थी के नाम में परिवर्तन कर सकता है।**

परीक्षार्थी के नाम में निम्न कारणों के होने पर ही परिवर्तन किया जायेगा –

- **नाम में भद्दापन।**
- **नाम से अपशब्द की ध्वनि निकलना।**
- **नाम असम्मानजनक प्रतीत होना।**
- **परिषद् द्वारा परीक्षार्थी के नाम के पहले या बाद में उपनाम, धर्म, जाति,उपाधि अथवा सम्मानजनक शब्द जोड़ने के लिए आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।**
- आवेदन पत्र प्रधानाचार्य के माध्यम से प्रस्तुत किया जायेगा।
- परीक्षा वर्ष की 31 मार्च से तीन वर्ष के भीतर आवेदन करना होगा।
- आवेदक द्वारा प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट अथवा नोटरी द्वारा यथा विधि प्रमाणित शपथ पत्र देना होगा। जिसमें नाम परिवर्तन के वैध कारण परीक्षार्थी द्वारा दिये जाएंगे।
- नाम परिवर्तन हेतु परीक्षार्थी जहॉ निवास करता है वहां के किसी दैनिक समाचार पत्र में तीन विभिन्न तिथियों के संस्करणों में नाम परिवर्तन को विज्ञापित करायेगा तथा सम्बन्धित तिथियों के समाचार पत्रों की प्रतियों को आवेदन पत्र के साथ संलग्न करेगा।

परिशिष्ट (क)

अत्यावश्यक / सर्वोपरि प्राथमिकता

केन्द्र / विद्यालय की संख्या }_____

इस रसीद को भरकर तुरन्त भेजिए। प्रमाण–पत्रों की प्राप्ति की सूचना अधिकतम एक माह के अन्दर अवश्य भेज दी जाय।

सेवा में,

उप सचिव, इण्टर प्रमाण–पत्र अनुभाग,
उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्,
रामनगर (नैनीताल)।

पत्रांक _____ दिनांक _____

आपके पत्रांक उ0 वि0 शि0 प0 / प्रमाण–पत्र / हाई / इण्टर / _____ दिनांक _____ एवं रजिस्ट्री संख्या _____, दिनांक _____ द्वारा भेजे गये आज दिनांक _____ की हाई स्कूल / इण्टरमीडिएट परीक्षा, 200 _____ के प्रमाण–पत्र प्राप्त हुए। बीजक की एक प्रति संलग्न है।

भवदीय,

विद्यालय का नाम –

प्रधानाचार्य

✓ परिशिष्ट (ख)

(200 की हाई स्कूल / इण्टरमीडिएट परीक्षा के भेजे गए प्रमाण–पत्रों में निकली त्रुटियों का विवरण)

टिप्पणी– परीक्षार्थी के नाम एवं पिता के नाम में त्रुटि पाई जाने पर वांछित संशोधन की पुष्टि में जिला शिक्षा अधिकारी / प्रादेशिक बालिका शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित छात्र–पंजी अवश्य संलग्न करें तथा उसका उल्लेख स्तम्भ 6 में अवश्य करें।

क्रमांक	अनुक्रमांक	परीक्षार्थी का नाम	प्रमाण–पत्र में अंकित प्रविष्टियां	प्रमाण–पत्र में वांछित संशोधन	वांछित संशोधन की पुष्टि में संलग्न प्रपत्र का विवरण	विवरण
1	2	3	4	5	6	7

संलग्न– प्रमाण–पत्र, छात्र–पंजी, अन्य प्रपत्र।

प्रधानाचार्य के हस्ताक्षर
मुहर

9. प्रमाण पत्रों का सत्यापन

1. किसी भी सेवायोजक द्वारा परीक्षार्थी के प्रमाणपत्र परिषद् कार्यालय को सत्यापन हेतु प्रेषित कर सकता है। सत्यापन का कार्य पूर्णतः गोपनीय कार्य है तथा इसके सम्बन्ध में सूचना परीक्षार्थी को प्रदान नहीं की जाती अपितु यह सीधे उस संस्था को प्रदान की जाती है जिसके द्वारा उसे मांगा गया है।
2. सत्यापन हेतु परीक्षार्थी द्वारा किये गये किसी भी अनुरोध को कदापि स्वीकार नहीं किया जायेगा।

10. अस्वामिक प्रमाणपत्र

- ऐसे प्रमाणपत्र जो परीक्षाफल घोषित करने के बाद विद्यालय को प्रेषित किये गये हैं तथा उन्हें परीक्षार्थी द्वारा 5 वर्ष बीत जाने के बाद भी विद्यालय से प्राप्त नहीं किया है।
- विद्यालय ऐसे प्रमाणपत्रों को 5 वर्ष बीत जाने के बाद परिषद् कार्यालय को वापस भेज देगा तथा छात्र को परिषद् निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद ही उसे प्रमाणपत्र देगा।
- अस्वामिक प्रमाणपत्रों को 20 वर्ष की अवधि के उपरान्त परिषद् द्वारा नष्ट कर दिया जायेगा। यदि उसके बाद भी कोई परीक्षार्थी अपना प्रमाणपत्र चाहता है तो उसे उक्त प्रमाणपत्र की द्वितीय प्रतिलिपि हेतु नियमानुसार आवेदन करना होगा।

11. सन्निरीक्षा (Scrutiny)

परीक्षाफल घोषणा के पश्चात विद्यार्थी परीक्षाफल से संतुष्ट न होने की स्थिति में सन्निरीक्षा हेतु आवेदन कर सकता है। सन्निरीक्षा हेतु आवेदन करने के लिए –

1 – परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से एक माह के अन्दर परीक्षार्थी को परिषद् कार्यालय में आवेदन करना होगा।

2 – निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र प्रधानाचार्य द्वारा अग्रसारित कर प्रेषित किया जाना होगा।

3 – धनराशि रुपया 100=00 (रुपया एक सौ) मात्र का चालान, प्रति विषय की दर से निम्न लेखाशीर्षक में जमा करने के पश्चात आवेदन पत्र के साथ मूलरूप मे संलग्न होना अनिवार्य है।

4 – लेखाशीर्षक निम्नवत् है :–

0202 – शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति
01 – सामान्य शिक्षा
102 – माध्यमिक शिक्षा
02 – बोर्ड परीक्षा का शुल्क

5 – आवेदन पत्र में परीक्षार्थी का मोबाईल नम्बर अवश्य अंकित हो।

6 – आवेदन पत्र में फोटो भी चस्पा हो तथा अंकपत्र भी संलग्न हो।

अति महत्वपूर्ण

उत्तर पुस्तिका में उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा अधिनियम 2006 के अधीन विहित विनियमों के अध्याय 12 के विनियम 16 ड; के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना सम्भव होगा जिसमें उल्लिखित किया गया है कि सन्निरीक्षा से तात्पर्य उत्तरपुस्तिकाओं का पुर्नमूल्यांकन नहीं है। सन्निरीक्षा कार्य में परीक्षार्थियों की उत्तरपुस्तिका में यह देखा जायेगा कि परीक्षार्थी की उत्तर पुस्तिका में क्या अलग–अलग प्रश्न में दिये गये अंकों का योग करने उन्हें अग्रहीत करने अथवा किसी प्रश्न अथवा उसके भाग पर अंक देना छूटने की त्रुटि नहीं हुई है। सन्निरीक्षा कार्य में परीक्षार्थियों की उत्तर पुस्तिका में परीक्षक द्वारा मूल्यांकित प्रश्नों के उत्तरों का कदापि पुर्नमूल्यांकन नही किया जायेगा।

सन्निरीक्षा–नवीन संशोधन वर्ष 2015 से लागू

हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट परिषदीय परीक्षाओं की मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की छाया प्रति प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रक्रिया

1– मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की छाया प्रति प्राप्त करने हेतु परीक्षाफल घोषणा के उपरान्त निम्न प्रारूप में आवेदन करना होगा।

परिषदीय परीक्षाओं की मूल्यांकित उत्तरपुस्तिकाओं की छाया प्रति प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

1– परीक्षार्थी का नाम– .....

2– माता का नाम.....

3– पिता का नाम–.....

4– कक्षा तथा वर्ष–.....

5– अनुक्रमांक –.....

परीक्षार्थी का अप्रमाणित फोटो

6– विषय (जिसकी उत्तरपुस्तिका की छाया प्रति प्राप्त करनी है) 1– .....2– .....
3– ..... 4– ..... 5– .....

7–पत्र व्यवहार का पता–.....

..... मोबाइल नं0–.....

8– शुल्क का विवरण–

चालान संख्या	दिनांक	बैंक का नाम	धनराशि

मैं.....पुत्र/पुत्री श्री.....

सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता /करती हूँ कि मै परिषद् से प्राप्त अपनी मूल्यांकित उत्तरपुस्तिका/उत्तरपुस्तिकाओं में परीक्षक द्वारा किये गये मूल्यांकन के विषय में परिषदीय विनियमों में विहित प्राविधानों का पालन करूँगा/करूँगी तथा उक्त उत्तरपुस्तिका/उत्तर पुस्तिकाओं को किसी भी प्रकार से प्रकाशित किये जाने हेतु उपयोग नहीं करूँगा/करूँगी।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर–

नाम–

दिनांक–

12. उत्तर पुस्तिका की छाया प्रति

परीक्षार्थी परीक्षाफल घोषणा की तिथि से छः माह के भीतर अपनी किसी भी विषय की उत्तरपुस्तिका की छाया प्रति की मांग कर सकता है। छाया प्रति हेतु आवेदन करने के लिए महत्वपूर्ण बिन्दु निम्नवत् हैं :–

1– परीक्षाफल घोषणा के उपरान्त उपरोक्त प्रारूप में आवेदन करना होगा।

2– उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 217/XXIV-5/2013/2(17)/2008 देहरादून दिनांक 12 जुलाई 2013 के द्वारा मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की छाया प्रति हेतु रू0 400=00 प्रति विषय शुल्क का निर्धारण किया गया है।

3– मूल्यांकित उत्तरपुस्तिकाओं की छाया प्रति चाहने हेतु परीक्षार्थी को लेखा शीर्षक–0202 –शिक्षा, खेल कला एवं संस्कृति, 01– सामान्य शिक्षा, 102– माध्यमिक शिक्षा, 02– बोर्ड परीक्षाओं का शुल्क में प्रत्येक विषय हेतु रू0 400=00 का ट्रेजरी चालान लगाना होगा।

4– परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ रू0 400=00 प्रति विषय की दर से चालान लगाकर उसकी मूल प्रति संलग्न कर स्वयं अथवा स्पीड पोस्ट द्वारा सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर जिला नैनीताल को परीक्षाफल घोषणा के उपरान्त प्रेषित करना होगा।

5– परिषदीय विनिष्टीकरण नियमावली के अनुसार परिषदीय परीक्षाओं की सभी उत्तरपुस्तिकाएं परीक्षाफल घोषणा के 6 माह अथवा सन्निरीक्षा परीक्षाफल घोषणा के उपरान्त विनिष्ट कर दी जाती हैं। विनिष्टीकरण के उपरान्त उत्तरपुस्तिका की छाया प्रति चाहने हेतु किये गये किसी भी प्रार्थना पत्र पर विचार किया जाना सम्भव नहीं होगा।

6– उपरोक्त संलग्नकों के न होने अथवा अपूर्ण आवेदन पत्र बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त कर दिये जायेगे। एक बार जमा किया गया शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं किया जायेगा।

7– उत्तर पुस्तिका की छाया प्रति का किसी व्यावसायिक उपयोग अथवा प्रकाशन निषिद्ध होगा।

8– किसी भी प्रकार के कानूनी विवाद के लिए कार्यक्षेत्र माननीय न्यायालय रामनगर जिला नैनीताल होगा।

छात्रवृत्ति

उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् वर्तमान में हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को भारत सरकार के डी0एस0टी0, एम0एच0आर0डी0, विभिन्न फाउण्डेशनों आदि के द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली छात्रवृत्तियों में मार्गदर्शक की भूमिका निभा रहा है। इनका संक्षिप्त विवरण निम्नवत् है :–

1- INSPIRE (Innovation in Science Pursuit for Inspired Research) Scholarship- (इन्सपायर अवार्ड) –

भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा INSPIRE (Innovation in Science Pursuit for Inspired Research) योजना के अन्तर्गत Scholarship for Higher Education (SHE) हेतु मान्यता प्राप्त कालेज एवं विश्वविद्यालय में B.Sc., B.Sc (Hons), four-year B.S. तथा five-year Integreated M.Sc./M.S. Programme में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है, जिस क्रम में उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर, नैनीताल द्वारा निम्नवत् कार्यवाही की जाती है–

इन्सपायर छात्रवृत्ति विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा सीधे अर्ह विद्यार्थियों को प्रदान की जाती है। मंत्रालय के निर्देश एवं उपलब्ध कराये गये प्रमाण पत्र के प्रारूपानुसार प्रति वर्ष इण्टरमीडिएट परिषदीय परीक्षाओं में सम्मिलित कुल विद्यार्थियों का टॉप 01 प्रतिशत विज्ञान वर्ग के विद्यार्थियों को अंक तालिका के साथ परिषद् कार्यालय द्वारा मेरिट प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है तथा सूची मंत्रालय को प्रेषित की जाती है। अर्ह विद्यार्थियों द्वारा उक्त मेरिट प्रमाण पत्र में उल्लिखित वेबसाइट **http://www.online-inspire.gov.in** एवं **www.inspire-dst.gov.in** पर लॉग ऑन कर आवेदन पत्र ऑन लाइन स्वयं भरा जाता है। ऐसे विद्यार्थी यदि छात्रवृत्ति हेतु चयनित कर लिए जाते हैं तो उन्हें प्रतिवर्ष रू0 80,000.00 (रू0 अस्सी हजार मात्र) की छात्रवृत्ति उच्च शिक्षा हेतु पांच वर्षों तक प्रदान की जाती है। ''मैरिट प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर परिषद् विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्राप्त होने की कोई गारन्टी नहीं देता है, मैरिट प्रमाण पत्र मात्र विद्यार्थियों को उक्त छात्रवृत्ति हेतु आवेदन करने के लिए अर्ह बनाता है। छात्रवृत्ति का अंतिम आंवटन मंत्रालय द्वारा बनाई गयी योग्यता सूची/श्रेष्ठता सूची के अनुसार निर्धारित किया जाता है।'' छात्रवृत्ति नवीनीकरण हेतु अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक वर्ष 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करने के साथ कक्षा में उपस्थिति 75 प्रतिशत होना अनिवार्य है, अन्यथा छात्रवृत्ति स्वतः ही निरस्त हो जायेगी।

2- Center Sector Scheme of Scholarship for College and University Students- (केन्द्रीय छात्रवृत्ति) –

भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा कालेज एवं विश्व विद्यालय के विद्यार्थियों हेतु केन्द्रीय छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। इस योजना के अन्तर्गत उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् के माध्यम से मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार को 616 छात्रवृत्ति (308 बालकों तथा 308 बालिकाओं के लिए) संस्तुत की जाती है। इन छात्रवृत्तियों को विज्ञान/कृषि, वाणिज्य एवं कला विषयों में क्रमशः 3:2:1 में निम्नवत् वितरित की जाती है–

छात्रवृत्ति हेतु उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर (नैनीताल) से इण्टरमीडिएट की परिषदीय परीक्षा में सम्मिलित **Top 20 percentile** उत्तीर्ण विज्ञान, वाणिज्य एवं कला

विषयों के परीक्षार्थियों में से किया जाता है। ऐसे विद्यार्थी यदि छात्रवृत्ति हेतु चयनित कर लिए जाते हैं तो उन्हें प्रथम तीन वर्षो में रू0 10000.00 प्रतिवर्ष एवं चौथे एवं पाँचवे वर्ष में रू0 20000.00 प्रतिवर्ष की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। उपरोक्त छात्रवृत्ति में आरक्षण की व्यवस्था केन्द्र सरकार के नियमानुसार है। अर्ह विद्यार्थियों द्वारा उक्त मंत्रालय का **National e-Scholarship Portal (http://www.Scholarships.gov.in)** पर लॉग ऑन कर आवेदन पत्र ऑन लाइन स्वयं भरा जाता है। छात्रवृत्ति सम्बन्धी अन्य जानकारियां **National e-Scholarship Portal** से प्राप्त की जा सकती है। ''छात्रवृत्ति हेतु आवेदन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या काफी अधिक होती है इसलिए छात्रवृत्ति का अंतिम आंवटन मंत्रालय द्वारा बनाई गयी योग्यता सूची के अनुसार होता है, जिसमें परिषद् कर्यालय की कोई भूमिका नहीं होती है।'' छात्रवृत्ति नवीनीकरण हेतु अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक वर्ष 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करने के साथ कक्षा में उपस्थिति 75 प्रतिशत होना अनिवार्य है, अन्यथा छात्रवृत्ति स्वतः ही निरस्त हो जायेगी।

3- <u>धीरूभाई अम्बानी छात्रवृत्ति–</u>

धीरूभाई अम्बानी फाउण्डेशन मुम्बई द्वारा इण्टरमीडिएट की परिषदीय परीक्षा में सर्वोच्च अंक (टॉपर मेरिट) रैंक 15 एवं फिजिकल चैलेंज के सर्वोच्च अंक (टॉपर मेरिट) रैंक 10 प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की सूची छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु मॉगी जाती है, जिसे फाउण्डेशन के दिशा–निर्देश प्राप्त होने के उपरान्त परिषद् कार्यालय द्वारा माह जुलाई में सूची प्रेषित की जाती है, तत्पश्चात् फाउण्डेशन द्वारा छात्रवृत्ति धनराशि सीधे छात्रों को प्रदान की जाती है।

4- डॉ0 अम्बेडकर नेशनल मेरिट अवार्ड–

डॉ0 अम्बेडकर फाउण्डेशन, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मत्रांलय भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा हाईस्कूल अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की मेरिट सूची एवं इण्टरमीडिएट की विज्ञान/कला/वाणिज्य वर्ग के अनुसार अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की सूची उक्त अवार्ड हेतु फाउण्डेशन के दिशा–निर्देश प्राप्त होने के उपरान्त परिषद् कार्यालय द्वारा माह जुलाई में सूची प्रेषित की जाती है, तत्पश्चात् फाउण्डेशन द्वारा छात्रवृत्ति धनराशि सीधे छात्रों को प्रदान की जाती है।

5- हिन्दुजा फाउण्डेशन छात्रवृत्ति–

हिन्दुजा फाउण्डेशन मुम्बई द्वारा हाईस्कूल की परिषदीय परीक्षा में सर्वोच्च अंक रैंक 25 (first 25 top rankig students) प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की सूची छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु मॉगी जाती है, जिसे फाउण्डेशन के दिशा–निर्देश प्राप्त होने के उपरान्त परिषद् कार्यालय द्वारा माह जुलाई में सूची प्रेषित की जाती है, तत्पश्चात् फाउण्डेशन द्वारा छात्रवृत्ति धनराशि सीधे छात्रों को प्रदान की जाती है।

हाईस्कूल परीक्षाफल

वर्ष 2012, 2013, 2014, 2015 एवं 2016 के उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का विवरण

विवरण	वर्ष 2012	वर्ष 2013	वर्ष 2014	वर्ष 2015	वर्ष 2016
कुल सम्मिलित परीक्षार्थी	178738	176823	170401	169481	162865
कुल उत्तीर्ण	125584	126319	114851	119797	119667
उत्तीर्ण प्रतिशत	70.26	71.43	67.40	70.68	73.47
सम्मान सहित (प्रथम श्रेणी में) उत्तीर्ण	2983	3787	4142	5457	4908
उत्तीर्ण प्रतिशत	2.38	3.00	3.61	4.56	4.10
प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण	22973	24553	23825	26087	24352
उत्तीर्ण प्रतिशत	18.29	19.44	20.74	21.78	20.34
द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण	72792	70015	62523	62548	60749
उत्तीर्ण प्रतिशत	57.97	55.43	54.44	52.21	50.76
तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण	26800	27928	24313	25661	29631
उत्तीर्ण प्रतिशत	21.34	22.11	21.17	21.42	24.76
विनियम के अन्तर्गत उत्तीर्ण	36	36	48	44	27
उत्तीर्ण प्रतिशत	0.02	0.02	0.04	0.03	0.02

इण्टरमीडिएट परीक्षाफल

वर्ष 2012, 2013, 2014, 2015 एवं 2016 के उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का विवरण

विवरण	वर्ष 2012	वर्ष 2013	वर्ष 2014	वर्ष 2015	वर्ष 2016
कुल सम्मिलित परीक्षार्थी	131465	132267	136571	143159	133064
कुल उत्तीर्ण	103189	105581	96135	106713	104346
उत्तीर्ण प्रतिशत	78.49	79.82	70.39	74.54	78.41
सम्मान सहित (प्रथम श्रेणी में) उत्तीर्ण	789	981	968	2540	2096
उत्तीर्ण प्रतिशत	0.76	0.93	1.00	2.38	2.00
प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण	11401	12735	12717	21084	21147
उत्तीर्ण प्रतिशत	11.05	12.06	13.23	19.76	20.27
द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण	64122	65705	62064	65296	64142
उत्तीर्ण प्रतिशत	62.14	62.23	64.57	61.19	61.47
तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण	25458	24648	18794	16417	15727
उत्तीर्ण प्रतिशत	24.67	23.35	19.55	15.38	15.07
विनियम के अन्तर्गत उत्तीर्ण	1419	1512	1582	1376	1234
उत्तीर्ण प्रतिशत	1.38	1.43	1.65	1.29	1.18

विभागीय परीक्षा द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाएं

उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर (नैनीताल) एक महत्वपूर्ण अंग विभागीय परीक्षाएं हैं। जिसके अन्तर्गत राजीव गाँधी नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय कालसी देहरादून प्रवेश परीक्षा, स्व0 श्री सुरेन्द्र राकेश राजकीय आदर्श आवासीय विद्यालय मक्खनपुर हाल छापर शेर अफगानपुर, भगवानपुर, हरिद्वार प्रवेश परीक्षा, एन0एस0एस0 'बी' एवं 'सी' प्रमाण पत्र परीक्षा, यू0टी0ई0टी0 परीक्षा तथा डी0एल0एड0 प्रवेश परीक्षा एवं डी0एल0एड0 सेमेस्टर परीक्षा आदि परीक्षाओं का संचालन किया जाता हैं।

➢ राजीव गाँधी नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा–

उत्तराखण्ड आवासीय विद्यालय समिति के निर्देशानुसार प्रदेश के 13 जनपदों में स्थापित राजीव गाँधी नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में कक्षा–06 में प्रवेश हेतु प्रवेश परीक्षा का आयोजन प्रतिवर्ष माह फरवरी के प्रथम सप्ताह में किया जाता है। प्रवेश परीक्षा के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र से 80 प्रतिशत एवं शहरी क्षेत्र से 20 प्रतिशत छात्र–छात्राओं का जाति एवं लिंगवार आरक्षण के नियमानुसार कुल 630 छात्र–छात्राओं का चयन किया जाता हैं।

➢ एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय कालसी देहरादून प्रवेश परीक्षा –

एकलव्य विद्यालय संगठन समिति एवं निदेशालय जनजाति कल्याण विभाग उत्तराखण्ड शासन द्वारा संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय जोगला, कालसी, देहरादून में कक्षा–06 में प्रवेश हेतु अनुसूचित जनजाति के छात्र–छात्राओं हेतु प्रवेश परीक्षा का आयोजन उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर, नैनीताल द्वारा किया जाता है। प्रवेश परीक्षा द्वारा अनुसूचित जनजाति के 30 छात्र एवं 30 छात्राओं का चयन किया जाता है। कुल सीटों में राज्य में निवासरत आदिम जनजाति (बोक्सा एवं राजी) प्रत्येक के 01 छात्र तथा 01 छात्रा हेतु 04 स्थान आरक्षित हैं।

- स्व0 श्री सुरेन्द्र राकेश राजकीय आदर्श आवासीय विद्यालय मक्खनपुर हाल छापर शेर अफगानपुर, भगवानपुर, हरिद्वार प्रवेश परीक्षा–

  उत्तराखण्ड शासन एवं निदेशक समाज कल्याण उत्तराखण्ड के निर्देश के क्रम में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों हेतु संचालित स्व0 श्री सुरेन्द्र राकेश राजकीय आदर्श आवासीय विद्यालय मक्खनपुर हाल छापर शेर अफगानपुर, भगवानपुर, हरिद्वार प्रवेश परीक्षा कक्षा–06 में प्रवेश हेतु उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर, नैनीताल प्रथमबार प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। इस हेतु अनुसूचित जाति के 30 छात्र–छात्राओं का चयन किया जाता है।

- एन0एस0एस0 'बी' एवं 'सी' प्रमाण पत्र हेतु परीक्षा–

  युवा कल्याण विभाग उत्तराखण्ड शासन द्वारा संचालित राष्ट्रीय सेवा योजना से आच्छादित एन0एस0एस0 'बी' एवं 'सी' प्रमाण पत्र हेतु परीक्षा उत्तराखण्ड के समस्त जनपदों में प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है।

- उत्तराखण्ड अध्यापक पात्रता परीक्षा–

  उत्तराखण्ड शासन के निर्देशन में उत्तराखण्ड अध्यापक पात्रता परीक्षा प्रथम एवं द्वितीय परीक्षा (UTET-I & II) का संचालन परिषद् कार्यालय द्वारा किया जाता है। उत्तराखण्ड अध्यापक पात्रता परीक्षा प्रथम (UTET-I) परीक्षा प्राथमिक शिक्षकों हेतु तथा उत्तराखण्ड अध्यापक पात्रता परीक्षा द्वितीय (UTET-II) परीक्षा उच्च प्राथमिक शिक्षकों के लिए आयोजित की जाती है। वर्तमान में उत्तराखण्ड अध्यापक पात्रता परीक्षा प्रथम एवं द्वितीय परीक्षा (UTET-I & II) परीक्षा 22 जनवरी, 2017 को उत्तराखण्ड राज्य के समस्त जनपदों के निर्धारित परीक्षा केन्द्रों में आयोजित की गयी।

- डी0एल0एड0 प्रवेश एवं सेमेस्टर परीक्षा–

  उत्तराखण्ड शासन के निर्देश के क्रम में डी0एल0एड0 प्रवेश एवं डी0एल0एड0 सेमेस्टर परीक्षाओं का संचालन परिषद् कार्यालय द्वारा किया जाता है। डी0एल0एड0 प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण परीक्षार्थियों को मेरिट के अनुसार प्रशिक्षण हेतु चयनित किया जाता है। डी0एल0एड0 हेतु प्रति मुख्यालय जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) के 50 परीक्षार्थियों का चयन प्रशिक्षण हेतु किया जाता हैं। वर्तमान में डी0एल0एड0 प्रवेश परीक्षा दिनांक 15 अप्रैल, 2017 को आयोजित की जानी प्रस्तावित है जिसका आयोजन उत्तराखण्ड राज्य के समस्त जनपदों के 37 (सैंतीस) शहरों में किया जायेगा।

सूचना का अधिकार

वर्ष 2015–16 एवम् 2016–17 का प्रगति विवरण

अनुरोध पत्र विवरण

क्रमांक	विवरण	2015–16		2016–17 (31 जनवरी, 2017 तक)
1	कुल प्राप्त आर0टी0आई0 आवेदन पत्र	734		456
2	निस्तारित आवेदन पत्र	734		433
3	निस्तारण हेतु अवशेष आवेदन, जिन पर कार्यवाही गतिमान है।	शून्य		23
4	आवेदन शुल्क व अतिरिक्त शुल्क के रूप में प्राप्त कुल धनराशि	रु0 16621.00		रु0 5928.00
5	आर0टी0आई0 के अन्तर्गत मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की छायाप्रति की मांग सम्बन्धी आवेदन पत्र।	हाईस्कूल	36	29
		इण्टरमीडिएट	88	42
6	मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की छाया प्रति की मांग सम्बन्धी आवेदन पत्रों के क्रम में निस्तारित प्रकरण	हाईस्कूल	36	29
		इण्टरमीडिएट	88	42

अपीलीय अधिकारी

क्रमांक	विवरण	2015–16	2016–17 (31 जनवरी, 2017 तक)
1	कुल योजित प्रथम अपील	62	34
2	कुल निस्तारित प्रथम अपील	62	33
3	अवशेष अपील, जिन पर कार्यवाही गतिमान है।	शून्य	01

लोक सूचना अधिकारी – श्री नवीन चन्द्र पाठक, अपर सचिव
कार्यालय दूरभाष नं0–05947–254275, मो0नं0–9410345168
ई–मेल– secy-ubse-uk@nic.in

विभागीय अपीलीय अधिकारी– श्री विनोद प्रसाद सिमल्टी, सचिव
कार्यालय दूरभाष नं0–05947–254275, मो0नं0–9411158565
ई–मेल– secy-ubse-uk@nic.in

अधिकारियों के नाम एवं मोबाईल नम्बर

1.	सर्व श्री विनोद प्रसाद सिमल्टी	सचिव	9411158565
2.	श्री नवीन चन्द्र पाठक	अपर सचिव	9410345168
3.	श्री रमेश चन्द्र पुरोहित	संयुक्त सचिव	9456158244
4.	श्री बृजमोहन सिंह रावत	संयुक्त सचिव	9412110199
5.	श्री ए0 के0 भारद्वाज	सहायक निदेशक	9411158213
6.	श्री आर0 सी0 भट्ट	वित्त अधिकारी	8057923000
7.	श्री सी0 पी0 रतूड़ी	उप सचिव	7579246923

उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर (नैनीताल) के सभापति एवं सचिव के कार्यकाल का विवरण

सभापति / निदेशक

क्र0सं0	अधिकारी का नाम	कब से	कब तक
1.	श्री महेश चन्द्र पन्त	01.02.2001	15.05.2004
2.	श्रीमती पुष्पा मानस	16.05.2004	15.05.2005
3.	श्री एस.के. माहेश्वरी (आई.ए.एस.)	16.05.2005	18.05.2007
4.	श्री सुबर्द्धन (आई.ए.एस.)	19.05.2007	01.08.2007
5.	श्री एन.एन.पी. पाण्डे	02.08.2007	05.06.2008
6.	श्रीमती पुष्पा मानस	06.06.2008	31.08.2010
7.	श्रीमती सौजन्या (आई.ए.एस.)	01.09.2010	07.01.2011
8.	श्री चन्द्र सिंह ग्वाल	07.01.2011	30.11.2014
9.	श्री राकेश कुमार कुंवर	01.12.2014	अविरल

सचिव

क्र0सं0	अधिकारी का नाम	कब से	कब तक
1.	श्री के.एस. सजवाण	09.11.2000	12.07.2002
2.	श्री चन्द्र सिंह ग्वाल	13.07.2002	16.10.2003
3.	श्री अनिल कुमार नेगी	16.10.2003	30.08.2007
4.	श्री नवीन चन्द्र कबड्वाल	31.08.2007	31.07.2009
5.	श्री दामोदर पन्त	01.08.2009	25.11.2011
6.	श्रीमती बन्दना गर्ब्याल	26.11.2011	19.12.2011
7.	डॉ0 दयाकृष्ण मथेला	20.12.2011	30.06.2015
8.	श्री विनोद प्रसाद सिमल्टी	01.07.2015	31.07.2015
9.	डॉ0 रूपेन्द्र दत्त शर्मा	31.07.2015	05.01.2017
10.	श्री विनोद प्रसाद सिमल्टी	05.01.2017	अविरल

परिषद् कार्यालय फोन एवं ई–मेल आई डी का विवरण

PHONE NO. 05947-254275

FAX NO. 05947-255021

E-MAIL secy-ubse-uk@nic.in

BOARD WEBSITE ubse.uk.gov.in

मुख्य शिक्षा अधिकारी ई–मेल आई डी का विवरण

CEO HARIDWAR	deo.hardwar.dir@gmail.com	01334-239158
CEO DEHRADUN	deo.dehradun.dir@gmail.com	0135-2787027
CEO UTTARKASHI	deo.uttarkashi.dir@gmail.com	01374-222122
CEO UTTARKASHI	deo.uttarkashi@gmail.com	
CEO TEHRI	deo.tehri.dir@gmail.com	01378-227244
CEO PAURI	deo.pauri.dir@gmail.com	01368-221789
CEO CHAMOLI	deo.chamoli.dir@gmail.com	01372-252944
CEO RUDRAPRAYAG	ceorudraprayag@gmail.com	01364-233246
CEO PITHORAGARH	deopit-edu-uk@nic.in	05964-225227
CEO CHAMPAWAT	deo.champawat.dir@gmail.com	05965-230531
CEO ALMORA	deo.almora.dir@gmail.com	05962-230074
CEO BAGESHWAR	deo_bageshwar@yahoo.com	05963-220417
CEO NAINITAL	ceonainital11@gmail.com	05942-248469
CEO UDHAM SINGH NAGAR	deousn-edu-uk@nic.in	05944-250054
CEO UDHAM SINGH NAGAR	ceousn@gmail.com	

उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्, रामनगर (नैनीताल)
जनपद एवं विकासखण्डों के नाम तथा कोड

जनपद– हरिद्वार
जनपद कोड–101

क्र.सं.	ब्लॉक का नाम	ब्लॉक कोड
01	बहादराबाद	01
02	भगवानपुर	02
03	खानपुर	03
04	लक्सर	04
05	नारसन	05
06	रुड़की	06

जनपद– देहरादून
जनपद कोड–102

क्र.सं.	ब्लॉक का नाम	ब्लॉक कोड
01	चकराता	07
02	डोईवाला	08
03	कालसी	09
04	रायपुर	10
05	सहसपुर	11
06	विकासनगर	12

जनपद– उत्तरकाशी
जनपद कोड–103

क्र.सं.	ब्लॉक का नाम	ब्लॉक कोड
01	भटवाड़ी	13
02	चिन्यालीसौड़	14
03	डुण्डा	15
04	मोरी	16
05	नौगाँव	17
06	पुरोला	18

जनपद– टिहरी गढ़वाल
जनपद कोड–104

क्र.सं.	ब्लॉक का नाम	ब्लॉक कोड
01	भिलंगना	19
02	चम्बा	20
03	देवप्रयाग	21
04	जाखणीधार	22
05	जौनपुर	23
06	कीर्तिनगर	24
07	नरेन्द्रनगर	25
08	प्रतापनगर	26
09	थौलधार	27

जनपद– पौड़ी गढ़वाल
जनपद कोड–105

क्र.सं.	ब्लॉक का नाम	ब्लॉक कोड
01	बीरोंखाल	28
02	दुगड्डा	29
03	द्वारीखाल	30
04	एकेश्वर	31
05	जयहरीखाल	32
06	कल्जीखाल	33
07	खिर्सू	34
08	कोट	35
09	नैनीडांडा	36
10	पाबौ	37
11	पौड़ी	38
12	पोखड़ा	39
13	रिखणीखाल	40
14	थलीसैंण	41
15	यमकेश्वर	42

जनपद– चमोली
जनपद कोड–106

क्र.सं.	ब्लॉक का नाम	ब्लॉक कोड
01	दशोली	43
02	देवाल	44
03	गैरसैंण	45
04	घाट	46
05	जोशीमठ	47
06	कर्णप्रयाग	48
07	नारायणबगड़	49
08	पोखरी	50
09	थराली	51

जनपद– रूद्रप्रयाग
जनपद कोड–107

क्र.सं.	ब्लॉक का नाम	ब्लॉक कोड
01	अगस्त्यमुनि	52
02	जखोली	53
03	ऊखीमठ	54

जनपद–पिथौरागढ़
जनपद कोड–108

क्र.सं.	ब्लॉक का नाम	ब्लॉक कोड
01	बेरीनाग	55
02	बिण	56
03	धारचूला	57
04	डीडीहाट	58
05	गंगोलीहाट	59
06	कनालीछीना	60
07	मूनाकोट	61
08	मुनस्यारी	62

जनपद– चम्पावत
जनपद कोड–109

क्र.सं.	ब्लॉक का नाम	ब्लॉक कोड
01	बाराकोट	63
02	चम्पावत	64
03	लोहाघाट	65
04	पाटी	66

जनपद– अल्मोड़ा
जनपद कोड–110

क्र.सं.	ब्लॉक का नाम	ब्लॉक कोड
01	भैंसियाछाना	67
02	भिक्यासैंण	68
03	चौखुटिया	69
04	धौलादेवी	70
05	द्वाराहाट	71
06	हवालबाग	72
07	लमगड़ा	73
08	सल्ट	74
09	स्याल्दे	75
10	ताकुला	76
11	ताड़ीखेत	77

जनपद– बागेश्वर
जनपद कोड–111

क्र.सं.	ब्लॉक का नाम	ब्लॉक कोड
01	बागेश्वर	78
02	गरुड	79
03	कपकोट	80

जनपद– नैनीताल
जनपद कोड–112

क्र.सं.	ब्लॉक का नाम	ब्लॉक कोड
01	बेतालघाट	81
02	भीमताल	82
03	धारी	83
04	हल्द्वानी	84
05	कोटाबाग	85
06	ओखलकाण्डा	86
07	रामगढ़	87
08	रामनगर	88

जनपद– ऊधम सिंह नगर
जनपद कोड–113

क्र.सं.	ब्लॉक का नाम	ब्लॉक कोड
01	बाजपुर	89
02	गदरपुर	90
03	जसपुर	91
04	काशीपुर	92
05	खटीमा	93
06	रुद्रपुर	94
07	सितारगज	95

जनपद का नाम एवं जनपद कोड

क्र0सं0	जनपद का नाम	जनपद कोड
01	हरिद्वार	101
02	देहरादून	102
03	उत्तरकाशी	103
04	टिहरी	104
05	पौड़ी	105
06	चमोली	106
07	रुद्रप्रयाग	107
08	पिथौरागढ़	108
09	चम्पावत	109
10	अल्मोड़ा	110
11	बागेश्वर	111
12	नैनीताल	112
13	ऊधम सिंह नगर	113